बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–12वि0–192/2024 - 1026

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 18.6.26

विषयः–विभिन्न विभागों एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों से प्राप्त डिबार आदेश/निबंधन रद्द करने/कालीकृत करने/मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंगः– लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा के कार्यालय आदेश सं0–174–सह–पठित ज्ञापांक–2208, दि0–06.06.26, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया के कार्यालय आदेश सं0–379–सह–पठित ज्ञापांक–1902, दि0–10.06.26, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय के कार्यालय आदेश सं0–13–सह–पठित ज्ञापांक–244, दि0–06.02.26, कार्यालय आदेश सं0–09–सह–पठित ज्ञापांक–156, दि0–22.01.26, कार्यालय आदेश सं0–08–सह–पठित ज्ञापांक–155, दि0–22.01.26, कार्यालय आदेश सं0–58–सह–पठित ज्ञापांक–2138, दि0–26.12.25, कार्यालय आदेश सं0–57–सह–पठित ज्ञापांक–2137, दि0–26.12.25, कार्यालय आदेश सं0–56–सह–पठित ज्ञापांक–2136, दि0–26.12.25, कार्यालय आदेश सं0–55–सह–पठित ज्ञापांक–2134, दि0–24.12.25, कार्यालय आदेश सं0–54–सह–पठित ज्ञापांक–2133, दि0–24.12.25, कार्यालय आदेश सं0–16–सह–पठित ज्ञापांक–1045, दि0–18.06.25, कार्यालय आदेश सं0–14–सह–पठित ज्ञापांक–247, दि0–30.01.24, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ के कार्यालय आदेश सं0–94– सह–पठित ज्ञापांक–2581, दि0–08.12.25, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर के कार्यालय आदेश सं0–13–सह–पठित ज्ञापांक–1096, दि0–16.04.26, ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश ज्ञापांक–7307, दि0–10.06.26, आदेश ज्ञापांक–7053, दि0–05.06.26, आदेश ज्ञापांक–6044, दि0–15.05.26, आदेश ज्ञापांक–6978, दि0–04.06.26, आदेश ज्ञापांक–7052, दि0–05.06.26, जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक–3133, दि0–17.06.26, आदेश ज्ञापांक–3128, दि0–05.06.26, आदेश ज्ञापांक–3115, दि0–05.06.26, आदेश ज्ञापांक–3153, दि0–08.06.26, लघु जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक–3565, दि0–02.06.26, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय आदेश सं0–99, ज्ञापांक–3691, दि0–18.05.26 एवं पथ निर्माण विभाग के आदेश ज्ञापांक–3975, दि0–13.06.26,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश/पत्र, जो विभाग को प्राप्त है, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन
अभय 18/06/26
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पत्रांक–12वि0–192/2024– 1026 दिनांक– 18.6.26

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 18/06/26
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पत्रांक–12वि0–192/2024– 1026 दिनांक– 18.6.26

प्रतिलिपि–आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं निदेश है कि विभागीय साईट पर Upload की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनु0–यथोपरि।

अभय 18/06/26
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Debar Letter-(BH-2026-27)

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

E-mail--eepheddarbhanga@gmail.com ☎ 06272-220256

कार्यालय आदेश सं0 ......174........ / दिनांक 06/06/26

मुख्यमंत्री निश्चय योजना "हर घर नल का जल" के तहत संवेदक श्री फूल कुमार झा, ग्राम--डरहार, जिला--दरभंगा (बिहार) एकरारनामा सं0--SBD-43/2019-20 के तहत प्रखंड--बहादुरपुर अन्तर्गत उधरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य आवंटित है। उक्त जलापूर्ति योजना अन्तर्गत मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य में लापरवाही के फलस्वरूप जलापूर्ति बाधित होने के कारण इस कार्यालय का पत्रांक--2769, दिनांक--05.09.2024, पत्रांक--1200, दिनांक--03.04.2025, पत्रांक--2920, दिनांक--13.08.2025, पत्रांक--4703, दिनांक--09.12.2025, पत्रांक--180, दिनांक--16.01.2026, पत्रांक--222, दिनांक--19.01.2026 पत्रांक--2027, दिनांक--29.05.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा का पत्रांक--116, दिनांक--22.01.2026 तथा सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, लहेरियासराय का पत्रांक--460, दिनांक--25.05.2026, पत्रांक--477, दिनांक--05.06.2026 पत्रांक--1378, दिनांक--26.11.2025, पत्रांक--238, दिनांक--07.03.2026 के द्वारा निदेशित करने के उपरांत भी आपके द्वारा उपरोक्त जलापूर्ति को मरम्मति कर जलापूर्ति बहाल नहीं की गई है। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, लहेरियासराय के पत्रांक--460, दिनांक--25.05.2026 के द्वारा मो0--50000.00 (पचास हजार) रूपये अर्थदंड अधिरोपित हेतु अनुशंसा करने के उपरांत इस कार्यालय का कार्यालय आदेश सं0--169 सह पठित ज्ञापांक--2027, दिनांक--29.05.2026 के द्वारा मो0--50000.00 (पचास हजार) रूपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। जिसके बावजूद भी आपके द्वारा उक्त जलापूर्ति योजना को सुचारू रूप से चालू करने में आपको कोई अभिरूचि नहीं होने के उपरांत सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, लहेरियासराय के पत्रांक--477, दिनांक--05.06.2026 के द्वारा डिबार करने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोपरांत एवं बिहार ठिकेदारी निबंधन निरामावली 2007 के कंडिका-।। (क) की उप कंडिका-।। तथा सामान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेन्सी श्री फूल कुमार झा, ग्राम--डरहार, जिला--दरभंगा (बिहार) (सूचीबद्धता संख्या--1584/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर इनके द्वारा जलापूर्ति योजना को मरम्मति कराकर जलापूर्ति बहाल नहीं की जाती है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को जब्त कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/- 06/06/26
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

2148

ज्ञापांक 2208 दिनांक 06/06/26

प्रतिलिपि :-

1. श्री फूल कुमार झा, ग्राम–डरहार, जिला–दरभंगा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रमंडलीय लेखा लेखा पदाधिकारी/विपत्र लिपिक/रोकड़पाल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ सादर समर्पित।

5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ सादर समर्पित।

7. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ सादर समर्पित।

06/6/26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा।

06/6/26

6/6/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया
E-mail Id.- eephdivisionbettiah1@gmail.com, Mob. No.-8544428583

का0आ0स0 :- 379 /बेतिया/ दिनांक :- 10-06-26

विश्व बैंक संपोषित नीर निर्मल परियोजना के तहत् संवेदक/एजेंसी M/S Fedal Chame, ग्राम–धर्मपुर न्यू कॉलोनी, पो0+थाना–समस्तीपुर, जिला–समस्तीपुर द्वारा किया गया एकरारनामा सं0–SBD-04/2016-17 अंतर्गत प्रखंड–बगहा, ग्राम–बनचहरी, बैच–01 एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना में निर्माण कार्य के साथ–साथ 05 वर्षों के मेंटेनेंस में मरम्मति कार्य कराया जाना है।

उक्त आवंटित कार्य का सफल संचालन नहीं करने के कारण उल्लेखित संवेदक को योजना में जलापूर्ति अवरुद्ध रहने की स्थिति में वांछित त्रुटियों के निराकरण करने हेतु कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बगहा–01 का पत्रांक–14 दिनांक–25.02.2026, पत्रांक–15 दिनांक–07.03.2026, पत्रांक–18 दिनांक–09.05.2026, पत्रांक–32 दिनांक–15.04.2026 एवं पत्रांक–42 दिनांक–09.05.2026 के अतिरिक्त सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बगहा के पत्रांक–78 दिनांक–11.05.2026 द्वारा उन्हें निदेशित करते हुए इस कार्यालय को संसूचित किया गया। तत् पश्चात् भी संवेदक द्वारा वांछित साकारात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न पत्रों यथा पत्रांक–1508 दिनांक–07.05.2026 एवं पत्रांक–1572 दिनांक–12.05.2026 के माध्यम से योजना में आ रही उल्लेखित त्रुटियों का त्वरित निराकरण करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करने हेतु उन्हें निदेशित किया गया। परन्तु तथाकथित त्रुटियों के निराकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिये गये निदेश के बावजूद भी वर्णित मामले में संवेदक द्वारा गंभीरता के साथ–साथ अभिरूची नहीं लिया जाना एकरारित प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

उल्लेखनीय है कि जलापूर्ति योजना सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना है, जिसे हर हाल में चालू रखते हुए लाभुकों को प्रतिदिन जलापूर्ति निर्वाध रूप से किया जाना है। परन्तु संवेदक द्वारा कार्य में अभिरूची नहीं लेने एवं जलापूर्ति अवरूद्ध रहने की स्थिति में क्षुब्ध होकर सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बगहा के पत्रांक–80 दिनांक–11.05.2026 द्वारा डिबार करने की अनुशंसा की गई है।

फलतः उल्लेखित परिस्थितियों में बाध्य होकर एकरारनामा के कंडिका 11 के सुसंगत प्रावधानों एवं विभागीय आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020–386 सहपठित ज्ञापांक–2885 दिनांक–21.12.2020 एवं आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020–970, पटना दिनांक– 18.06.2021 के आलोक में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप संवेदक/एजेंसी M/S Fedal Chame, ग्राम–धर्मपुर न्यू कॉलोनी, पो0+थाना–समस्तीपुर, जिला–समस्तीपुर को तत्काल प्रभाव से विभाग द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

10.6.26
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया

2146

ज्ञापांक :– 1902 बेतिया/ दिनांक :– 10-06-26/

प्रतिलिपि :– संवेदक/एजेंसी M/S Fedal Chame, ग्राम–धर्मपुर न्यू कॉलोनी, पो0+थाना–समस्तीपुर, जिला–समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

10.6.26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया

ज्ञापांक :– 1902 बेतिया/ दिनांक :– 10-06-26/

प्रतिलिपि :–संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बगहा को प्रेषित।

10.6.26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया

ज्ञापांक :– 1902 बेतिया/ दिनांक :– 10-06-26/

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मोतिहारी/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

10.6.26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया

ज्ञापांक :– 1902 बेतिया/ दिनांक :– 10-06-26/

प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

10.6.26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय

Email :- eephedbeg@yahoo.co.in Mob.:- 8544428603

आदेश संख्याः-...... 13...... दिनांक:- 06/02/26

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक Sri Vijay Prakash, S/O-Ram Pukar Singh, Vill-Sonapur Bharath, PO-Hanspur, Ward No.-10, PS-Nayagaw, Dist.-Begusarai. को एकरारनामा संख्या SBD:-518/2019-20 (PWS Matihani) अंतर्गत मटिहानी प्रखंड के मटिहानी-1 पंचायत के वार्ड सं0-1,2,3,4,5,6,7,8,9 एवं 10 के सभी घरों में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षो तक रख-रखाव एवं संपोषण का कार्य स-समय किया जाना है। परंतु आपके द्वारा योजना के विद्युत विपत्र जिसका उपभोक्ता सं0-11710017855 में कुल राशि- ₹842502.00 का भुगतान लंबित है एवं संपोषण के कार्यों मे रूचि नहीं ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का आदेश संख्या-47, सह-पठित ज्ञापांक-2068, दिनांक-16.12.2025 के द्वारा एजेंसी को डिबार/विखंडन करने की चेतावनी दी गई थी। परंतु आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेते हुए शिथिलता बरती जा रही है। जो अद्योहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामा फर्म द्वारा रख-रखाव एवं संपोषण के कार्यो को सही ढंग से नहीं किया जा सका। निरीक्षण/समीक्षा के क्रम में रख-रखाव एवं संपोषण के कार्यों की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकरारित कर कार्य नहीं किए जाने से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या-6ए/वि03-105/202-386, दिनांक-21.12.2020 एवं आदेश संख्या-6ए/वि03-105/2020-970, दिनांक-18.06.2021 के आलोक में संवेदक Sri Vijay Prakash, S/O-Ram Pukar Singh, Vill-Sonapur Bharath, PO-Hanspur, Ward No.-10, PS-Nayagaw, Dist.-Begusarai. (सूचीबद्धता संख्या-00954/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

05/02/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः-....244.... दिनांकः-..06/02/26....

प्रतिलिपिः- संवेदक Sri Vijay Prakash, S/O-Ram Pukar Singh, Vill-Sonapur Bharath, PO-Hanspur, Ward No.-10, PS-Nayagaw, Dist.-Begusarai. को सूचनार्थ प्रेषित।

05/02/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः-....244.... दिनांकः-..06/02/26....

प्रतिलिपिः- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बेगूसराय/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

05/02/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः-....244.... दिनांकः-..06/02/26....

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

05/02/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय

Email :- eephedbeg@yahoo.co.in Mob.:- 8544428603

आदेश संख्याः– 09 दिनांकः– 22/01/26

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु ऐजेंसी Fadle Chem Private Limited, New Colony No.-03, P.S-Samastipur, Dist.-Samastipur-848101 को एकरारनामा संख्या SBD:-03/2016-17 (SVS Mohanpur) अंतर्गत बखरी प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के वार्ड सं0–1,2,4,5,6 एवं 7 के सभी घरों में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षों तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परंतु आपके द्वारा योजना के विद्युत विपत्र जिसका उपभोक्ता सं0–117211593253 में कुल राशि– ₹1254668.00 का भुगतान लंबित है एवं संपोषण के कार्यों मे रूचि नहीं ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का पत्रांक–1899, दिनांक–13.11.2025 एवं आदेश संख्या–44, सह–पठित ज्ञापांक–2060, दिनांक–15.12.2025 के द्वारा एजेंसी को डिबार/विखंडन करने की चेतावनी दी गई थी। परंतु आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेते हुए शिथिलता बरती जा रही है। जो अद्योहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामा फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यो को सही ढंग से नहीं किया जा सका। निरीक्षण/समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यो की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकरारित कर कार्य नहीं किए जाने से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए/वि03–105/202–386, दिनांक–21.12.2020 एवं आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020–970, दिनांक–18.06.2021 के आलोक में ऐजेंसी Fadle Chem Private Limited, New Colony No.-03, P.S-Samastipur, Dist.-Samastipur-848101 (सूचीबद्धता संख्या–140520250408) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

21/01/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 156 दिनांकः– 22/01/26

प्रतिलिपिः– ऐजेंसी Fadle Chem Private Limited, New Colony No.-03, P.S-Samastipur, Dist.-Samastipur-848101 को सूचनार्थ प्रेषित।

21/01/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 156 दिनांकः– 22/01/26

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बेगूसराय/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/01/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 156 दिनांकः– 22/01/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/01/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय

Email :- eephedbeg@yahoo.co.in Mob.:- 8544428603

आदेश संख्याः– 08 दिनांकः– 22/01/26

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु ऐजेंसी Fadle Chem Private Limited, New Colony No.-03, P.S-Samastipur, Dist.-Samastipur-848101 को एकरारनामा संख्या SBD:-02/2016-17 (SVS Ratan) अंतर्गत बखरी प्रखंड के राटन पंचायत के वार्ड सं0–4,5,6,9 एवं 10 के सभी घरों में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षों तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परंतु आपके द्वारा योजना के विद्युत विपत्र जिसका उपभोक्ता सं0–117211596040 में कुल राशि– ₹1549362.00 का भुगतान लंबित है एवं संपोषण के कार्यों मे रूचि नहीं ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का पत्रांक–1899, दिनांक–13.11.2025 एवं आदेश संख्या–45, सह–पठित ज्ञापांक–2061, दिनांक–15.12.2025 के द्वारा एजेंसी को डिबार/विखंडन करने की चेतावनी दी गई थी। परंतु आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेते हुए शिथिलता बरती जा रही है। जो अद्योहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामा फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों को सही ढंग से नहीं किया जा सका। निरीक्षण/समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकरारित कर कार्य नहीं किए जाने से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए/वि03–105/202–386, दिनांक–21.12.2020 एवं आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020–970, दिनांक–18.06.2021 के आलोक में ऐजेंसी Fadle Chem Private Limited, New Colony No.-03, P.S-Samastipur, Dist.-Samastipur-848101 (सूचीबद्धता संख्या–140520250408) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

21/01/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 155 दिनांकः– 22/01/26

प्रतिलिपिः– ऐजेंसी Fadle Chem Private Limited, New Colony No.-03, P.S-Samastipur, Dist.-Samastipur-848101 को सूचनार्थ प्रेषित।

21/01/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 155 दिनांकः– 22/01/26

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बेगूसराय/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/01/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 155 दिनांकः– 22/01/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/01/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय

Email :- eephedbeg@yahoo.co.in Mob.:- 8544428603

आदेश संख्या:– 58 दिनांक:– 26/12/2025

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक Shree Prince Kumar, At+PO.- Khanjhanpur, Dist-Begusarai-851132 को एकरारनामा संख्या SBD:-715/2019-20 (PWS Tekenpura) अंतर्गत नावकोठी प्रखंड के डफरपुर पंचायत के वार्ड सं0–6,7,8,9,10 एवं 11 के सभी घरों में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षो तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परंतु आपके द्वारा योजना के विद्युत विपत्र जिसका उपभोक्ता सं0–11720027180 में कुल राशि–₹972550.00 का भुगतान लंबित है एवं संपोषण के कार्यों मे रूचि नहीं ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का पत्रांक–1890, दिनांक–13.11.2025, आदेश संख्या–38, सह–पठित ज्ञापांक–2033, दिनांक–09.12.2025 के द्वारा एजेंसी को डिबार/विखंडन करने की चेतावनी दी गई थी। परंतु आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेते हुए शिथिलता बरती जा रही है। जो अद्योहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामा फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों को सही ढंग से नहीं किया जा सका। निरीक्षण/समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकरारित कर कार्य नहीं किए जाने से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए/वि03–105/202–386, दिनांक–21.12.2020 एवं आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020–970, दिनांक–18.06.2021के आलोक में संवेदक Shree Prince Kumar, At+PO.- Khanjhanpur, Dist-Begusarai-851132 (सूचीबद्धता संख्या–00046/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:– 2138 दिनांक:– 26/12/2025

प्रतिलिपि:– संवेदक Shree Prince Kumar, At+PO.- Khanjhanpur, Dist-Begusarai-851132 को सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:– 2138 दिनांक:– 26/12/25

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बेगूसराय/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:– 2138 दिनांक:– 26/12/25

प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय

Email :- eephedbeg@yahoo.co.in Mob.:- 8544428603

आदेश संख्याः– 57 दिनांकः– 26/12/2025

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक Shree Kaushal Kishor Singh, Vill- Chakmuzffar, P.O-Sisauni Kothi, Nawkothi Dist-Begusarai-851130 को एकरारनामा संख्या SBD:-657/2019-20 (PWS Nawkothi) अंतर्गत नावकोठी प्रखंड के नावकोठी पंचायत के वार्ड सं0–1,5,7,8,10,12 एवं 13 के सभी घरों में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षो तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परंतु आपके द्वारा योजना के विद्युत विपत्र जिसका उपभोक्ता सं0–11720011522 में कुल राशि–₹1831026.13 का भुगतान लंबित है एवं संपोषण के कार्यों मे रूचि नहीं ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का पत्रांक–1891, दिनांक–13.11.2025, आदेश संख्या–36, सह–पठित ज्ञापांक–2028, दिनांक–08.12.2025 के द्वारा एजेंसी को डिबार/विखंडन करने की चेतावनी दी गई थी। परंतु आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेते हुए शिथिलता बरती जा रही है। जो अद्योहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामा फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों को सही ढंग से नहीं किया जा सका। निरीक्षण/समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकरारित कर कार्य नहीं किए जाने से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए/वि03–105/202–386, दिनांक–21.12.2020 एवं आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020–970, दिनांक–18.06.2021के आलोक में संवेदक Shree Kaushal Kishor Singh, Vill- Chakmuzffar, P.O-Sisauni Kothi, Nawkothi Dist-Begusarai-851130 (सूचीबद्धता संख्या–040120220002) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 2137 दिनांकः– 26/12/2025

प्रतिलिपिः– संवेदक Shree Kaushal Kishor Singh, Vill- Chakmuzffar, P.O-Sisauni Kothi, Nawkothi Dist-Begusarai-851130 को सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 2137 दिनांकः– 26/12/25

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बेगूसराय/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 2137 दिनांकः– 26/12/25

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय

Email :- eephedbeg@yahoo.co.in Mob.:- 8544428603

2140

आदेश संख्या:–56 दिनांक:–26/12/2025

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक Shree Rajesh Kumar, Vill- Aamgola, Nakagali, P.O-Ramna, Dist-Muaffarpur-842002 को एकरारनामा संख्या SBD:-11/2016-17 (SVS Kumharson) अंतर्गत गढ़पुरा प्रखंड के कुम्हारसों पंचायत के वार्ड सं0–1,2,4,5,6,7,8,9,12 एवं 13 के सभी घरों में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षों तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परंतु आपके द्वारा योजना के विद्युत विपत्र जिसका उपभोक्ता सं0–117209371668 में कुल राशि–₹691333.65 का भुगतान लंबित है एवं संपोषण के कार्यों मे रूचि नहीं ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का पत्रांक–1915, दिनांक–18.11.2025, आदेश संख्या–46, सह–पठित ज्ञापांक–2067, दिनांक–16.12.2025 के द्वारा एजेंसी को डिबार/विखंडन करने की चेतावनी दी गई थी। परंतु आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेते हुए शिथिलता बरती जा रही है। जो अद्योहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामा फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों को सही ढंग से नहीं किया जा सका। निरीक्षण / समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकरारित कर कार्य नहीं किए जाने से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए / वि03–105 / 202–386, दिनांक–21.12.2020 एवं आदेश संख्या–6ए / वि03–105 / 2020–970, दिनांक–18.06.2021के आलोक में संवेदक Shree Rajesh Kumar, Vill- Aamgola, Nakagali, P.O-Ramna, Dist-Muaffarpur-842002 (सूचीबद्धता संख्या–00351 / 2015) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन
26/12/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:–2136 दिनांक:–26/12/2025

प्रतिलिपि:– संवेदक Shree Rajesh Kumar, Vill- Aamgola, Nakagali, P.O-Ramna, Dist-Muaffarpur-842002 को सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:–2136 दिनांक:–26/12/2025

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बेगूसराय / मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/12/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:–2136 दिनांक:–26/12/2025

प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय

बिहार सरकार

Email :- eephedbeg@yahoo.co.in Mob.:- 8544428603

आदेश संख्याः– 55 दिनांकः– 24/12/2025

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक Prashant Kumar, S/O-Lanlan Prasad Singh, Ward No.-01, At+Po.-Badalpura, Matihani, Begusarai-851129 को एकरारनामा संख्या SBD:-471/2019-20 (PWS Khamhar) अंतर्गत बेगूसराय प्रखंड के खम्हार पंचायत के वार्ड सं0–1,2,3,4,5,6,7,8 एवं 9 के सभी घरों में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षों तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परंतु आपके द्वारा योजना के विद्युत विपत्र जिसका उपभोक्ता सं0–117406043090 में कुल राशि–₹2855237.27 का भुगतान लंबित है एवं संपोषण के कार्यों मे रूचि नहीं ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का पत्रांक–1886, दिनांक–13.11.2025, आदेश संख्या–42, सह–पठित ज्ञापांक–2027, दिनांक–08.12.2025के द्वारा एजेंसी को डिबार/विखंडन करने की चेतावनी दी गई थी। परंतु आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेते हुए शिथिलता बरती जा रही है। जो अद्योहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामा फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों को सही ढंग से नहीं किया जा सका। निरीक्षण/समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकरारित कर कार्य नहीं किए जाने से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए/वि03–105/202–386, दिनांक–21.12.2020 एवं आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020–970, दिनांक–18.06.2021के आलोक में संवेदक Prashant Kumar, S/O-Lanlan Prasad Singh, Ward No.-01, At+Po.-Badalpura, Matihani, Begusarai-851129 (सूचीबद्धता संख्या–071220230502) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

24/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 2134 दिनांकः– 24/12/25

प्रतिलिपिः– Prashant Kumar, S/O-Lanlan Prasad Singh, Ward No.-01, At+Po.-Badalpura, Matihani, Begusarai-851129 को सूचनार्थ प्रेषित।

24/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 2134 दिनांकः– 24/12/25

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बेगूसराय/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांकः– 2134 दिनांकः– 24/12/25

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेगूसराय

Email :- eephedbeg@yahoo.co.in Mob.:- 8544428603

आदेश संख्या:- 54 दिनांक:- 24/12/2025

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी Shree Mahavira Build Well Pvt. Ltd. G2, Mahavira Enclave Near Hotle Republic Exhibition Road Patna- 800001 को एकरारनामा संख्या SBD:-671/2019-20 (PWS Binodpur) अंतर्गत बेगूसराय प्रखंड के विनोदपुर पंचायत के वार्ड सं0–5,6,7,8,9,10,11,12 एवं 13 के सभी घरों में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षों तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परंतु आपके द्वारा योजना के विद्युत विपत्र जिसका उपभोक्ता सं0–17408660627 में कुल राशि–₹1525379.14 का भुगतान लंबित है एवं संपोषण के कार्यों मे रूचि नहीं ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का पत्रांक–1887, दिनांक–13.11.2025, आदेश सं0–35, सह–पठित ज्ञापांक–2027, दिनांक–08.12.2025 के द्वारा एजेंसी को डिबार/विखंडन करने की चेतावनी दी गई थी। परंतु आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेते हुए सिथिलता बरती जा रही है। जो अद्योहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामा फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों को सही ढंग से नहीं किया जा सका। निरीक्षण/समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यों की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकरारित कर कार्य नहीं किए जाने से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए/वि03–105/202–386, दिनांक–21.12.2020 एवं आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020–970, दिनांक–18.06.2021के आलोक में एजेंसी Shree Mahavira Build Well Pvt. Ltd. G2, Mahavira Enclave Near Hotle Republic Exhibition Road Patna- 800001 (सूचीबद्धता संख्या–01798/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वंय जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

24/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:- 2133 दिनांक:- 24/12/25

प्रतिलिपि:–Shree Mahavira Build Well Pvt. Ltd., G2, Mahavira Enclave Near Hotle Republic Exhibition Road Patna- 800001को सूचनार्थ प्रेषित।

24/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:- 2133 दिनांक:- 24/12/25

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बेगूसराय/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:- 2133 दिनांक:- 24/12/25

प्रतिलिपि:–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/12/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

Email :- eephedbeg@gmail.com 8544428603

आदेश सं0:– 16 दिनांक:– 18/06/25

सरकार के सात निश्चय मे से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु हजरत बेलाल, संवेदक, **Add:-Budhi Jethwar, P.O-Jethwar, P.S.-Tarari, Distt-Bhojpur** को एकरारनामा संख्या SBD-614/2019-20 अन्तर्गत बखरी प्रखंड के राटन पंचायत के वार्ड सं0–11 एवं 12 के सभी घरो में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षो तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परन्तु आपके द्वारा योजना के संपोषण में रूचि नही ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। इस कार्यालय का पत्रांक–670 दिनांक:–11.04.2025, सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बखरी का पत्रांक:–112, दिनांक:–29.03.2025 के द्वारा पत्र निर्गत है। उक्त पत्र में ऐजेन्सी को Debar/विखंडन करने की चेतावनी दी गयी थी। परन्तु आपके द्वारा कार्य भी अभिरूचि नही लेते हुए शिथिलता बरती जा रही है। जो अधोहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना तथा कार्य में लापरवाही का द्योतक है।

एकरारनामानुसार फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यो को सही ढंग से नही किया जा सका। निरीक्षण / समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यो की स्थिति नगण्य है। सरकार को इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकराररित कर कार्य नही किया जाना से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने मे कोई अभिरूचि नही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए / वि03–105 / 202–386 दिनांक:–21.12.2020 के आलोक में हजरत बेलाल, संवेदक, **Add:-Budhi Jethwar, P.O-Jethwar, P.S.-Tarari, Distt-Bhojpur** (सूचीबद्धता संख्या–210420200222)को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित / Debar किया जाता है। यह तत्काल आदेश तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन
(ह0) 18/06/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:– 1045 दिनांक:– 18/06/25
प्रतिलिपि:– हजरत बेलाल, संवेदक, Add:-Budhi Jethwar, P.O-Jethwar, P.S.-Tarari, Distt-Bhojpur को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 18/06/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:– 1045 दिनांक:– 18/06/25
प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियत्रण अंचल, बेगूसराय / मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग उत्तर भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(ह0) 18/06/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:– 1045 दिनांक:– 18/06/25
प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(ह0) 18/06/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

Email :- eephedbeg@gmail.com 8544428603

(104 ... 217)

आदेश सं0:–......14........ दिनांक:–...30/01/2024

सरकार के सात निश्चय मे से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के क्रियान्वयन हेतु **M/s Rishav raj Singh, Haripur, Koilwar, Bhojpur, Bihar-802163** को एकरारनामा संख्या SBD-03/2020-21 दिनांक:–20.06.2020, अन्तर्गत नगर पंचायत के वार्ड सं0–5, 7, 11, 12, 13 जो कि पूर्व में वार्ड सं0–2, 3, 8, 9 एवं 12 के नाम से क्रमश अंकित है के सभी घरो में गृह जल संयोजन के साथ स्वच्छ एवं शुद्व पेयजल की व्यवस्था किया जाना है। साथ ही एकरारनामा के अनुसार 05 वर्षो तक रख–रखाव एवं संपोषण का कार्य स–समय किया जाना है। परन्तु आपके द्वारा योजना के संपोषण में रूचि नही ली जा रही है जो काफी खेदजनक है। सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल बलिया के पत्रांक:–238, दिनांक:–19.04.2023, पत्रांक:–477, दिनांक:–23.08.2023, पत्रांक:–590, दिनांक:–12.10.2023, पत्रांक:–591, दिनांक:–13.10.2023, कार्यपालक अभियंता का पत्रांक:–1383, दिनांक:–03.11.2023, सहायक अभियंता का पत्रांक:–636, दिनांक:–24.11.2023 एवं पत्रांक:–10, दिनांक:–08.01.2024।

एकरारनामानुसार कार्य प्रारंभ तिथि क्रमशः 20.06.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि– 19.12.2020 है। फर्म द्वारा रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यो को सही ढंग से नही किया जा सका। निरीक्षण/समीक्षा के क्रम में रख–रखाव एवं संपोषण के कार्यो की स्थिति नगण्य है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन करने हेतु एकराररित कर कार्य नही किया जाना से यह परिलक्षित होता है कि फर्म को कार्य करने में कोई अभिरूचि नही है। इस कार्यालय का पत्रांक:–1529, दिनांक:–06.12.2023 द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने हेतु स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। जिसका जवाब अबतक अप्राप्त है। जो यह परिलक्षित करता है कि उन्हें कुछ नही कहना है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए विभागीय आदेश संख्या–6ए/वि03–105/202–386 दिनांक:–21.12.2020 के आलोक में **M/s Rishav raj Singh, Haripur, Koilwar, Bhojpur, Bihar-802163** (सूचीबद्धता संख्या–..)को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह तत्काल आदेश तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 30/01/24
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:–.....247..... दिनांक:–30/01/2024
प्रतिलिपि:– **M/s Rishav raj Singh, Haripur, Koilwar, Bhojpur, Bihar-802163** को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30/01/24
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:–.....247..... दिनांक:–30/01/2024
प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बेगूसराय/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(हस्ताक्षर) 30/01/24
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक:–.....247..... दिनांक:–30/01/2024
प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(हस्ताक्षर) 30/01/24
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय।

16 DEC 2025

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ ।

कार्यालय आदेश

दिनांक:- 08.12.25

कार्यालय आदेश संख्या:- [illegible]

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना "हर घर नल का जल" के तहत संवेदक / एजेंसी श्री अभय कुमार, संवेदक ग्राम- अखलासपुर जिला- कैमूर को एकरारनामा संख्या-192/SBD/2019-20, के तहत प्रखण्ड भगवानपुर अंतर्गत पंचायत- पढ़ौली वार्ड नं0- 11, 12, 13A, 13B में जलापूर्ति योजना का कार्य आवंटित है। उक्त जलापूर्ति योजना अन्तर्गत माह सितम्बर 2025 तक अद्यतन बकाया विद्युत विपत्र की राशि को विद्युत विभाग को जमा करते हुए पावती रसीद अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनेकों बार मौखिक एवं लिखित निदेश दिया गया था । परन्तु संवेदक द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए विद्युत विपत्र के राशि को विद्युत विभाग को जमा नहीं किया गया । तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक- 2524 दिनांक- 03.12.2025 एवं पत्रांक- 2546 दिनांक- 05.12.2025 द्वारा अंतिम रूप से बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु निदेशित किया गया, साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी भी दी गई थीं । इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा उक्त योजना में बकाया विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया हैं । इससे प्रतीत होता है कि बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान में संवेदक को कोई भी अभिरूचि नहीं हैं । जो कि एकरारनामा के शर्तो के विरूद्ध हैं ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तो के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोंपरांत एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों एवं एकरारनामा के कंडिका- 14 में निहित प्रावधानों के तहत् संवेदक / एजेंसी अभय कुमार, संवेदक ग्राम- अखलासपुर जिला- कैमूर (सूचीबद्धता संख्या- 130920190101) **को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।** इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात् कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल् प्रभाव से लागू होगा।

कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।
08/12/2025

ज्ञापांक:- 2581 दिनांक:- 08/12/25

प्रतिलिपि- संवेदक श्री अभय कुमार, संवेदक ग्राम- अखलासपुर जिला- कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

8636
17.12.25

Scanned with CamScanner

2134

दिनांक:–08/12/25

ज्ञापांक:–2581

प्रतिलिपि– सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

दिनांक:–08/12/25

ज्ञापांक:–2581

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण, सासाराम अंचल, सासाराम को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

दिनांक:–08/12/25

ज्ञापांक:–2581

प्रतिलिपि–मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

दिनांक:–08/12/25

ज्ञापांक:–2581

प्रतिलिपि:–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, भभुआ निर्माण विभाग, भभुआ/योजना एवं विकास विभाग, भभुआ/नगर विकास एवं आवास विभाग, भभुआ/लघु जल संसाधन विभाग, भभुआ/सोन उच्च स्तरीय विभाग, भभुआ/पथ निर्माण विभाग, भभुआ/बुडको, भभुआ/LAEO भभुआ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

Scanned with CamScanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

कार्यालय आदेश संख्या—13/ दिनांक—16-04-2026

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पंचायती राज विभाग से हस्तान्तरित योजना "हर घर नल का जल" के तहत श्री उमेश पाण्डेय, ग्राम—साईन पट्टी, साईन थाना— कॉटी,मुजफ्फरपुर पिन—843109 को एकरारनामा संख्या—SBD-12/2024-25 के अन्तर्गत प्रखण्ड कॉटी एवं मड़वन तथा एकरारनामा संख्या—SBD-13/2024-25 के अन्तर्गत प्रखण्ड —कुढ़नी (O&M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यो का चार वर्षो के लिए रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य आवंटित है। संवेदक को प्रति प्रखण्ड 20 अदद मरम्मति दल (विभागीय मानक अनुसार) रख कर निर्मित योजनाओं का मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य कराया जाना है। जिसके लिये कई बार मौखिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक—534 दिनांक—18.03.2025 पत्रांक—700 दिनांक—07.04.2025 पत्रांक—881 दिनांक—16.05.2025 पत्रांक—961 दिनांक—23.05.2025 पत्रांक—620 दिनांक—25.03.2025 पत्रांक—846 दिनांक—9.05.2025 पत्रांक—1056 दिनांक—12.06.2025 पत्रांक—1419 दिनांक—22.07.2025 पत्रांक—1440 दिनांक—25.07.2025 एवं पत्रांक—1465 दिनांक —29.07.2025 पत्रांक—1470 दिनांक—30.07.2025, पत्रांक—1527 दिनांक—09.08.2025 पत्रांक—1664 दिनांक—23.08.2025, पत्रांक—1687 दिनांक—28.08.2025 पत्रांक—1792 दिनांक—12.09.2025 पत्रांक—1995 दिनांक—01.11.2025 पत्रांक—2069 दिनांक—19.11.2025 पत्रांक—2105 दिनांक—27.11.2025 पत्रांक—79 दिनांक—10.01.2026 पत्रांक—89 दिनांक—11.01.2026 पत्रांक—300 दिनांक—19.01.2026 पत्रांक—445 दिनांक—11.02.2026 पत्रांक—694 दिनांक—06.03.2026 पत्रांक—809 दिनांक—16.03.2026 पत्रांक—1012 दिनांक—10.04.2026 पत्रांक—1015 दिनांक—10.04.2026 पत्रांक—1023 दिनांक—11.04.2026 को निदेशित करते हुए 24 घंटे के अन्दर लंबित शिकायतो का निराकरण कर ATR उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। परंतु संवेदक के द्वारा कोई अभिरूची नहीं ली गई। पुनः संवेदक को विभागीय मानक के अनुसार गैंग टीम (मरम्मति दल) रख कर CGRC एवं अन्य स्त्रोतो से प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन कराने के लिये निदेशित किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई रूची नही ली गयी। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कॉटी का पत्रांक—02 दिनांक—20.01.2026 पत्रांक—07 दिनांक—10.02.2026 पत्रांक—17 दिनांक—27.02.2026 पत्रांक—20 दिनांक—12.03.2026, पत्रांक—23 दिनांक—06.04.2026 पत्रांक—24 दिनांक—08.04.2026 द्वारा पत्र के माध्यम से कहा गया कि संवेदक द्वारा विभागीय कार्यो के प्रति संवेदक के घोर लापरवाही से CGRC एवं अन्य स्त्रोतो के प्राप्त शिकायत लम्बे समय से लंबित है। स—समय कार्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा निराशा व्यक्त की जाती है एवं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है वर्तमान में प्रखण्ड कॉटी—65, मड़वन—14 एवं कुढ़नी—108 अन्तर्गत 187 अदद CGRC शिकायत लंबित है। जो निम्न प्रकार है:—

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	कुल लंबित शिकायतों की संख्या जिससे संवेदक के द्वारा किया जाना है।	0—7 दिन से लंबित शिकायत की सं0	8—15 दिन से लंबित शिकायत की सं0	16—30 दिन से लंबित शिकायत की सं0	30 दिन से लंबित शिकायत की सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	कॉटी	65	24	19	10	12
2	मड़वन	14	14	0	0	0
3	कुढ़नी	108	45	27	18	18
	कुल—	187	83	46	28	30

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कॉटी का पत्रांक—28 दिनांक—16.04.2026 सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया का पत्रांक—51 दिनांक—14.04.2026 के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तो के निष्पादन में चूक के लिये सम्यक विचारोपरान्त एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका II (क) की उप कंडिका तथा सामान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेन्सी श्री उमेश पाण्डेय, ग्राम—साईन पट्टी, साईन थाना कॉटी, मुजफ्फरपुर पिन—843109 एकरारनामा संख्या—**SBD-12/2024-25** तथा **SBD-13/2024-25** (सूचिबद्धता संख्या—250220200144) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त CGRC से प्राप्त लंबित शिकायतों का निष्पादन नही किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राज्यसात कर दी जायेगी जिसके लिये संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नही होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

16-04-26

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
16/4/26

20 APR 2026

ज्ञापांक– 1096 / दिनांक– 16-04-2026 /

प्रतिलिपिः– श्री उमेश पाण्डेय, ग्राम–साईन पट्टी, साईन थाना कॉटी, मुजफ्फरपुर पिन–843109 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.04.026

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
16/4/26

ज्ञापांक– 1096 / दिनांक– 16-04-2026 /

प्रतिलिपिः– सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.04.026

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
16/4/26

ज्ञापांक– 1096 / दिनांक– 16-04-2026 /

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

16.04.026

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
16/4/26

ज्ञापांक– 1096 / दिनांक– 16-04-2026 /

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर/अभियंता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

16-04-026

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
16/4/26

ज्ञापांक– 1096 / दिनांक– 16-04-2026 /

प्रतिलिपिः– ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल–पश्चिमी/पुर्वी), मुजफ्फरपुर–1 एवं 2/भवन निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/योजना एवं विकास विभाग, मुजफ्फरपुर/नगर विकास एवं आवास विभाग, मुजफ्फरपुर/लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/सोन उच्च स्तरीय विभाग, मुजफ्फरपुर/पथ निर्मान विभाग, मुजफ्फरपुर/बुडको, मुजफ्फरपुर/LAEO मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

16.04.026

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
16/4/26

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांकः 534

दिनांकः 18/03/2025

प्रेषकः— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय, संवेदक
कांटी, मुजफ्फरपुर
("हर घर नल का जल" योजना प्रखण्ड--कांटी/मड़वन)
Email Id-umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः— पेयजल APP सर्वे, CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों में नल—जल का कार्य नहीं कराने के संबंध में।

प्रसंगः— कनीय अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मड़वन का दिनांक—13.03.2025 (2 अदद) एवं दिनांक—17.03.2025 (1 अदद) प्राप्त प्रतिवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रसांगिक प्रतिवेदन (3 अदद) की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि कनीय अभियंता, (असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा मड़वन ने सूचित किया है कि आपको/आपके प्रतिनिधि को सूचित करने के उपरान्त भी पेयजल APP सर्वे (2nd Phase) में कुल--04 अदद बंद योजना CGRC पोर्टल पर लंबित—04 अदद शिकायत एवं प्रमण्डलीय पत्रांक--508 दिनांक—12.03.2025 द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों में नल—जल उपलब्धता एवं मरम्मति हेतु दिये गये सूची का क्रियान्वयन कर ATR उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जो बड़े खेद का विषय है साथ मानक संचालन प्रक्रिया का भी उल्लंघन है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि प्रतिवेदन में उल्लेखित कार्यो का समय से निराकरण कर ATR कनीय अभियंता को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें साथ ही कनीय अभियंता द्वारा कार्य हेतु सूचना प्राप्त होते ही उसका क्रियान्वयन करना सूनिश्चत करेंगें। अन्यथा आपके विरूद्ध एकरारनामा के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

अनु0:— 03 अदद प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 534 / दिनांकः 18/03/2025 /

प्रतिलिपिः— कनीय अभियंता, (असैनिक) लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मड़वन एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांक: 700

दिनांक: 07-04-2025

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रगंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक
कांटी, मुजफ्फरपुर ।
(PRD OM योजना प्रखण्ड–,कांटी, मड़वन)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः– कांटी एवं मड़वन प्रखण्ड अंतर्गत पेयजल सर्वे APP में बंद पाये गये योजनाओं ZOD में बंद पाये गये योजनाओं, CGRC के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निवारण कर ATR uplod कराने में शिथिलता बरतने तथा कनीय अभियंताओं के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में।

प्रसंगः– एकरारनामा संख्या SBD-12/2024-25 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–2144 दिनांक–28.12.2024, पत्रांक–154 दिनांक–23.01.2025 पत्रांक–508 दिनांक–12.03.2025 पत्रांक–534 दिनांक–18.03.2025, पत्रांक–620 दिनांक–25.03.2025 पत्रांक–650 दिनांक–28.03.2025, पत्रांक–656 दिनांक–28.03.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों का कृप्या स्मरण करना चाहेंगें। जिनके माध्यम से पेयजल सर्वे APP में बंद पाये गये योजनाओं, ZOD में बंद पाये गये योजनाओं, CGRC के तहत लंबित शिकायतों का ATR इत्यादि के लिए आपको सूचित किया गया। साथ ही शिकायतों के निराकरण में विलंब के लिए अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। ऑगनबाड़ी केन्द्रों में खराब नल जल की मरम्मति एवं नल जल अनुपलब्ध ऑगनबाड़ी केन्द्रों में नल जल उपलब्ध कराने हेतु भी निदेश दिया गया है। परन्तु उपरोक्त कार्यो के सम्पादन में काफी विलंब करते हुए शिथिलता बरती जा रही है। साथ ही आपके कार्य सम्पादन को लेकर कनीय अभियंता, प्रशाखा, कांटी एवं मड़वन से भी लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है। जिसे आपको प्रेषित की जाती रही है। वर्तमान में भी कनीय अभियंताओं द्वारा प्राप्त शिकायत की प्रति संलग्न की जा रही है। इस कार्यालय के पत्रांक–620 दिनांक–23.03.2025 द्वारा CGRC एवं ZOD के तहत लंबित शिकायतों में ATR हेतु लगाये गये अर्थ दण्ड के उपरान्त भी उन शिकायतों में से दिनांक–04.04.2025 तक CGRC के तहत–5 अदद ZOD के तहत–2 अदद शिकायत आज भी लंबित है। इस प्रकार ZOD के तहत अद्यतन–12 अदद शिकायत लंबित है एवं CGRC के तहत–20 अदद शिकायत लंबित है। 4th Phase+Regular के तहत पेयजल APP पर दिनांक–02 एवं 03.04.2025 को कुल 12 अदद योजना बंद पाये गये है। पूर्व में पेयजल APP सर्वे में बंद पाये गये योजनाओं में आज भी ATR लंबित है। ऑगनबाड़ी केन्द्रों में नल जल की मरम्मति एवं नये नल जल प्रदान करने की भी प्रगति काफी असंतोषजनक है। विभागीय निदेश के आलोक में कम से कम 20 अदद मरम्मति दल रखने का निदेश दिया गया था। अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा क्षेत्र भ्रमण में Key Personnel की उपस्थिति नहीं पाये जाने पर आपको उनके द्वारा निदेशित किया गया था। (अंचलीय पत्रांक–278 दिनांक–05.02.2025) एवं इस कार्यालय के पत्रांक–224 दिनांक–07.03.2025 द्वारा भी निदेशित किया गया है एवं अनुपालन प्रतिवेदन की मांग

पत्रांकः 961

दिनांकः 23-05-2025

प्रेषकः— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय, संवेदक, (प्रखण्ड—कांटी, मड़वन)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः— PRD संवेदक द्वारा मरम्मति कार्य में अभिरूची नहीं होने के कारण।

प्रसंगः— कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी का पत्र संख्या—शून्य दिनांक—16.05.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी द्वारा बार—बार सूचित करने के बावजूद भी नल—जल योजनाओं की प्राप्त शिकायतों का निष्पादन आप के द्वारा नहीं किया जा रहा है न ही Minor मरम्मति ही किया जा रहा है। कांटी प्रखण्ड में CGRC—18 एवं मड़वन प्रखण्ड में CGRC—18 की संख्या हो चूकी है। CGRC पर Upload नहीं किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि याजना को सूचारू रूप से संचालित करने में अभिरूची नहीं ले रहे। इस भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। जो बहुत ही खेद का विषय है।

अतः निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर नल—जल योजनाओं के शिकायतों का निष्पादन करते हुए किस कारण से योजना को ठीक कराने में विलंब हुई स्पष्टीकरण के साथ अनुपालन प्रतिवेदन (ATR) कनीय अभियंता, कांटी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।

इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 961 /

दिनांकः 23-05-2025 /

प्रतिलिपिः— कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी / सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांक:......620.............. दिनांक: 25/03/2025

प्रेषक:— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

(1) मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक
कांटी, मुजफ्फरपुर
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

(2) राजू कुमार, संवेदक
मझौलिया रोड, रसूलपुर जिलानी, मुजफ्फरपुर
Email id-rajupandey07@gmail.com

(3) मे0 चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्राईवेट लि0 एजेंसी
ग्राम—सुपना, पो0—गोरीगामा, थाना—सरैया जिला—मुजफ्फरपुर
Email id- choudhary777.ch@gmail.com

विषय:— CGRC एवं ZOD के तहत Portal पर दर्ज शिकायत का मानक संचालन प्रक्रिया अंतर्गत निर्धारित समय से निराकरण कर जलापूर्ति चालू नहीं करने हेतु जूर्माने की राशि अधिरोपित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में आप सभी को लिखित रूप से एवं मौखिक/दुरभाष पर आपको अथवा आपके सुपरवाईजर को CGRC एवं ZOD के तहत दर्ज शिकायत का निराकरण कर साक्ष्य के रूप में लोकेशंन के साथ फोटो तथा ATR की मांग की लगातार की जा रही है। परन्तु उक्त कार्य के सम्पादन में आपके माध्यम से काफी विलंब की जा रही है। फलस्वरूप विभाग द्वारा निदेर्शित मानक संचालन प्रक्रिया एवं एकरारनामा के शर्तो के अधिन शिकायतों के निराकरण में हुए विलंब के लिए निम्न प्रकार जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा रही है। जिसकी कटौती आपके विपत्र से कर ली जायेगी तथा 24 घंटे के अन्दर अगर लंबित शिकायतों को फिर भी निराकरण कर ATR नहीं दिया जाता है तो आपके विरुद्ध पुनः कार्यवाई प्रारंभ कर दी जायेगी जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्र0	एजेंसी/संवेदक का नाम	एकरारनामा सं0	प्रखण्ड का नाम	CGRC लंबित शिकायत		ZOD लंबित शिकायत		कुल जुर्माने की राशि (6+8)	अभ्युक्ति
				कुल लंबित शिकायत की सं0	कुल जुर्माने की राशि	कुल लंबित शिकायत की सं0	कुल जुर्माने की राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मे0 उमेश पाण्डेय	SBD-12/2024-25	कांटी/मड़वन	7	48,000.00	4	48,000.00	96,000.00	विवरणी संलग्न
		SBD-13/2024-25	कुढ़नी	02	12,000.00	9	3,36,000.00	3,48,000.00	
2	श्री राजू कुमार	SBD-14/2024-25	मीनापुर	04	32,000.00	2	2,90,000.00	3,22,000.00	विवरणी संलग्न
3	मे0 चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0	SBD-18/2024-25	मोतीपुर	01	66,000.00	0	0	66,000.00	विवरणी संलग्न
		SBD-19/2024-25	सरैया	0	0	1	1,16,000.00	1,16,000.00	

अनु0:— यथोपरि।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांकः 846 /

दिनांकः 9-5-25 /

प्रेषकः— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक
कांटी एवं कुढ़नी, मुजफ्फरपुर।
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः— CGRC Portal पर दर्ज शिकायत का मानक संचालन प्रक्रिया अंतर्गत निर्धारित समय से निराकरण कर जलापूर्ति चालू नहीं करने हेतु जूर्माने की राशि अधिरोपित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में आप सभी को लिखित रूप से एवं मौखिक/दुरभाष पर आपको अथवा आपके सुपरवाईजर को CGRC के तहत दर्ज शिकायत का निराकरण कर साक्ष्य के रूप में लोकेशंन के साथ फोटो तथा ATR की मांग की लगातार की जा रही है। परन्तु उक्त कार्य के सम्पादन में आपके माध्यम से काफी विलंब की जा रही है। फलस्वरूप विभाग द्वारा निदेर्शित मानक संचालन प्रक्रिया एवं एकरारनामा के शर्तो के अधिन शिकायतों के निराकरण में हुए विलंब के लिए निम्न प्रकार जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा रही है। जिसकी कटौती आपके विपत्र से कर ली जायेगी तथा 24 घंटे के अन्दर अगर लंबित शिकायतों को फिर भी निराकरण कर ATR नहीं दिया जाता है तो आपके विरूद्ध पुनः कार्यवाई प्रारंभ कर दी जायेगी जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्र0	एजेंसी/संवेदक का नाम	एकरारनामा सं0	प्रखण्ड का नाम	CGRC लंबित शिकायत		अभ्युक्ति
				कुल लंबित शिकायत की सं0	कुल जुर्माने की राशि	
1	2	3	4	5	6	10
1	मे0 उमेश पाण्डेय	SBD-12/2024-25	कांटी	1	20,000.00	विवरणी संलग्न
		SBD-13/2024-25	कुढ़नी	1	22,000.00	

अनु0:— यथोपरि।

विश्वासभाजन
9/5/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 846 / दिनांकः 9-5-25 /

प्रतिलिपिः— सभी कनीय अभियंता/सभी सहायक अभियंता/विपत्र लिपिक एवं रोकड़पाल, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित जूमार्ने की राशि को विधिवत विपत्र से कटौती करना सूनिश्चित करेंगें।

अनु0:— यथोपरि।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांक:.....846...../ दिनांक: 9-5-25 /

प्रतिलिपि:— अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अंचल मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0:— यथोपरि।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

P.H.Division, Motipur

CGRC Complaint Pendency Details

Token No	Complain Date	Complainant Name	Mobile No	Complain Details	Block Name	GP Name	Day of Pending	Total Penelty Imposed (@2,000 Per Day)	Remarks
202504260244	4/26/2025 8:28:11 PM	RAUNAK KUMAR	7677049918	Water Supply House Connection not provided	KANTI	DAMODARPUR	10 Days	20,000.00	
202504250369	4/25/2025 7:34:34 PM	Ram Manohar sah	9546727991	Water is not coming in my tap due to water tower is located very far away from my house.	KURHANI	KISHUNPUR BALAUR	11 Days	22,000.00	

पत्रांक 1056

दिनांक 12-06-2025

प्रेषक:— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे० उमेश पाण्डेय संवेदक
कांटी, मुजफ्फरपुर
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषय:— CGRC पोर्टल पर दर्ज शिकायत का मानक संचालन प्रक्रिया अंतर्गत निर्धारित समय से निराकरण कर जलापूर्ति चालू नहीं करने हेतु जुर्माने की राशि अधिरोपित करने के संबंध में।

प्रसंग:— कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी का पत्रांक—शून्य दिनांक—12.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी का पत्रांक—शून्य दिनांक—12.06.2025 से प्राप्त पत्र छाया प्रति संलग्न करते हुए में कहना हैं कि आपके द्वारा CGRC से पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का निवारण Minor एंव Mejor मरम्मति कार्य एक दिन एवं 5 दिनों के अन्दर निष्पादन कराना है परन्तु कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा कांटी के द्वारा बार—बार सूचित करने के बावजूद आपके द्वारा शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है फलस्वरूप विभाग द्वारा निदेशित मानक संचालन प्रक्रिया एकरारनामा के शर्तो के अधीन शिकायतों के निराकरण में हुए विलंब के लिए निम्न प्रकार जुर्माने की राशि अधिरोपित कि जा रही है। जिसकी कटौती आपकी विपत्र से कर ली जायेगी।

अतः 24 घंटे के अन्दर CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण कर ATR नहीं दिया जाता है तो आपके विरूद्ध पुन कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसकी सारी जबावदेही आपकी होगी।

क्र0 सं0	एजेंसी/संवेदक का नाम	एकरारनामा सं0	प्रखण्ड का नाम	CGRC लंबित शिकायत		कुल जुर्माने की राशि (66)	अभ्युक्ति
				कुल लंबित शिकायत की सं0	कुल जुर्माने की राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री उमेश पाण्डेय	SBD-12/2024-25	कांटी	03	72,000.00	98,000.00	विवरणी संलग्न
			मड़वन	01	26,000.00		

अनु0:— यथोपरि।

विश्वासभाजन,
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांक: 1056 / दिनांक: 12-06-2025 / 12/6/25

प्रतिलिपि:— सभी कनीय अभियंता/सभी सहायक अभियंता/विपत्र लिपिक एवं रोकड़पाल, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित जूमार्ने की राशि को विधिवत विपत्र से कटौती करना सूनिश्चित करेंगें।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांक: 1056 / दिनांक: 12-06-2025 / 12/6/25

प्रतिलिपि:— अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अंचल मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

(3123)

Contractor
File
17/6/15

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वा. प्रमंडल, मोतीपुर।

विषय = cgrc पोर्टल से प्राप्त शिकायतों के निवारण में हो रही देरी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि PHED guideline के अनुसार cgrc से प्राप्त minor एवं major मरम्मती कार्य क्रमशः 1 दिन एवं 5 दिन के अंदर निष्पादन करना है। परंतु संवेदक को बार-बार सूचित करने के बावजूद cgrc शिकायतों का निष्पादन नहीं हो रहा है।

प्रखंड	cgrc शिकायतों के लंबित दिनों की सं०	
कांटी	3 शिकायत = 12 दिन @2000.00	= ~~36,000~~/- 72,000/- @
मड़वन	1 शिकायत = 13 दिन @2000.00	= 26,000/-

अतः महाशय से अनुरोध है कि उचित कार्यवाई करते हुए लंबित शिकायतों का निष्पादन कराया जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)
12-6-2015
AE, PHED

पत्रांक.............../ दिनांक: 11-07-2025 /

प्रेषक:— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय, संवेदक, (प्रखण्ड—कांटी)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषय:— लोक शिकायत से प्राप्त आवेदनों पर कार्यादेश निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:— कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी का पत्र संख्या—शून्य दिनांक—16.06.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि लोक शिकायत से प्राप्त श्री विनोद कुमार ठाकुर का आवेदन जिसकी आनन्य संख्या—9999901290525553558 एवं 9999901290525553559 तथा श्री अमीत कुमार का आवेदन, जिसकी अनन्य संख्या—414118030052501988 है कि जिसमें इन्होंने शिकायत की है कि दामोदरपुर, वार्ड—11 में गरम चौक के पास रामलाल शाह के घर से ब्रिलियंट ग्लोबल स्कूल वाली गली में पानी की आपूर्ति नहीं होता है एवं वार्ड नं0—12 पैगम्बरपुर कोलुहा में पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा आधे वार्ड में कनेक्शन नहीं दिया गया है। जिससे वहाँ के लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा कांटी द्वारा जाँचोपरान्त पाया गया कि इन दोनों वार्डों में 300m PipeLine, 1500m PipeLine तथा 20 House Connectionn, 100 House Connection की आवश्यकता है।

अतः निदेशित किया जाता है कि PipeLine बिछाने तथा House Connection देने का कार्य पूर्ण करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन कनीय अभियंता प्रशाखा कांटी के माध्यम से उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें ताकि शिकायतकर्त्ता का शिकायत का निष्पादन किया जा सकें।

इसे अति आवश्यक समझे।

अनुलग्नकः— यथोपरि।

विश्वासभाजन

10.07.2025

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांक: 1346 / दिनांक: 11-07-2025 /

प्रतिलिपि:— कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.07.2025

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

10/07/25

Contractor
RM
1/7/25

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वा० प्रमंडल मोतीपुर.

विषय- लोक शिकायत से प्राप्त आवेदनों पर कार्य आदेश निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग = ① विनोद ठाकुर, अनन्य सं०= 999990129052555 3558 एवं 999990129052555 3559.

② अमीत कुमार, अनन्य सं०= 41411803005 2501988.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि उक्त शिकायतों के निष्पादन के लिए नए स्तर से काम कराने की जरूरत है, जो निम्न प्रकार के हैं:-

S.No.	शिकायत कर्ता	शिकायत	नया काम
1.	विनोद ठाकुर	दामोदरपुर, w-11 में गरम चौक के पास रामलाल शाह के घर से शिविरमेंट ग्लोबल स्कूल वाली गली में पानी आपूर्ती नहीं होता है	300m pipeline 20 connection
2.	अमीत कुमार, वार्ड सदस्य-12 पैगम्बरपुर कोल्हुआ	पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा आधे वार्ड में कनेक्शन नहीं दिया गया है,	1500m pipeline 100 House connection.

अत: महाशय से निवेदन है कि कार्य आदेश निर्गत कर दिया जाए ताकि उक्त परिवाद का निष्पादन हो सके.

विश्वासभाजन
[signature]
16-6-2025
JE, PHED.

प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता, जन लोक स्वा. प्रमंडल कांटी को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर
डायरी सं0 1330
दिनांक 01/07/25

प्रा. [illegible] ... का कार्य करें [illegible] हेतु [illegible]
[signature] 1/7/25

पत्रांक– 1388 दिनांक– 16-07-2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पांडेय, संवेदक
(प्रखंड–कांटी, मड़वन एवं कुढ़नी)

विषयः– संलग्न प्रपत्र में प्रतिनि अपराहन् 2:00 बजे के पूर्व विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–14/ 1–1011/24–847 पटना दिनांक–11.07.2025

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि सहायक अभियंता (मुख्यालय) एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर के साथ प्रतिदिन 3:30 बजे VC के माध्यम से योजनाओं की क्रियाशीलता की समीक्षा की जाती है। प्रमंडलीय संवेदक के माध्यम से 50 अदद् पंप चालकों को दूरभाष पर वार्ता कर योजनाओं की क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर प्रतिदिन VC के माध्यम से राज्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त है। परन्तु आपके द्वारा पंप चालकों को कोई भी कॉल नहीं कराया जाता है, और ना ही इसकी सूचना प्रमंडलीय मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाता है, जो की विभाग द्वारा दिया गया दिशा निर्देश का उल्लंघन है, एवं आपके द्वारा कार्य में लापरवाही हो दर्शाता है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में प्रतिदिन किये गये कुल 50 अदद् Phone Calls का विवरणी 2:00 बजे अपराहन् तक प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा विषम परिस्थिति की पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

अनु0:– यथोपरि।

विश्वासभाजन

16.07.025

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 14/ वि०1-1011/24-847 पटना, दिनांकः– 11/07/25

प्रेषक,

मनीष कुमार,
मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) के प्रावैधिक सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

विषयः– संलग्न प्रपत्र में प्रतिदिन अपराह्न 2:00 बजे के पूर्व विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहायक अभियंता (मुख्यालय) एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के साथ प्रतिदिन अपराह्न 3:30 बजे VC के माध्यम से योजनाओं की क्रियाशीलता की समीक्षा की जाती है। प्रमंडल द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से 50 अदद लाभार्थियो/पंप चालको तथा संवेदक के माध्यम से 50 अदद पंप चालको को दूरभाष पर वार्त्ता कर योजनाओं की क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर प्रतिदिन VC के माध्यम से राज्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त है। परन्तु इससे संबंधित कोई भी विवरणी राज्य नियंत्रण कक्ष के पास उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में निदेशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में प्रतिदिन किये गये कुल 100 अदद Phone calls का विवरणी अपराह्न 2:00 बजे तक राज्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा विषम परिस्थिति की पूर्ण जबावदेही आपकी होगी।

अनु0:–यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/- 11/07/25
(मनीष कुमार)
मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)
के प्रावैधिक सचिव

ज्ञापांक– 14/ वि०1-1011/24-847 पटना, दिनांक– 11/07/25

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/- 11/07/25
(मनीष कुमार)
मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)
के प्रावैधिक सचिव

(25)

~~2851~~
2118

ज्ञापांक– 14/वि0– 1011/24 – 847 पटना, दिनांक– 11/07/25

प्रतिलिपिः–श्री लवकुश, CGRC Manager को निदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन CGRC द्वारा पंप चालको को किये गये 50 अदद Phone Calls की विवरणी अपराहन 2:00 बजे तक राज्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11/07/25
(मनीष कुमार)
मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)
के प्रावैधिक सचिव

(325)

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल..................................

क्रम सं०	प्रमंडल	पंचायत	ग्राम	वार्ड	योजना का नाम	किससे बात किया गया नाम एवं मो० नं० सहित	कितने घरो में पानी मिल रहा है, कितने में नहीं	अंतिम बार योजना कब चली समय एवं तिथि के साथ	वार्त्ता के दौरान क्या बताया गया	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

नाम–
पदनाम–
फोन नं०–
हस्ताक्षर–

पत्रांकः 1419 /

दिनांकः 22-07-2025 /

प्रेषकः– कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय, संवेदक, (प्रखण्ड–कांटी एवं मड़वन)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः– PRD संवेदक द्वारा मरम्मति कार्य में अभिरूची नहीं लेने के संवंध में।

प्रसंगः– कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन का पत्र संख्या–शून्य दिनांक–14.07.2025

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि कांटी/मड़वन में योजनाओं की प्राप्त शिकायतों का निष्पादन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। कई शिकायते ऐसी है जिसमें बिल्कुल Minor मरम्मति की आवश्यकता है। कनीय अभियंता द्वारा बार–बार सूचित करने के बावजूद भी मरम्मति नहीं की जा रही है। CGRC की कई सारी शिकायते सप्ताह से लंबित पडी है। प्रखण्ड–कार्यालय से प्राप्त शिकायत एवं दूरभाष से प्राप्त शिकायतों का भी निष्पादन नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आप कार्य में रूची नहीं ले रहे है। जो बहुत ही खेद का विषय हैं।

अतः निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अन्दर सभी शिकायतो का निष्पादन करते हुए इसकी सूचना कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा कांटी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें। अन्यथा विपरित परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अनुः– यथोपरि।

18-07-25

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 1419 / दिनांकः 22-07-2025 /

प्रतिलिपिः– कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18-07-25

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांक: 1540

दिनांक: 25-07-2025

प्रेषकः— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

(1) मे0 चौधरी एण्ड चौधरी
इन्फाटेक प्राईवेट लि0 एजेंसी (प्रखण्ड—मोतीपुर एवं सरैया)
Email id- choudhary777.ch@gmail.com

(2) दिशा, इन्टर प्राईजेज, एजेंसी (प्रखण्ड—साहेबगंज एवं पारू)
Email id -dishaenterprisesmuz@gmail.com

(3) मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक (प्रखण्ड—कांटी, मड़वन एवं कुढ़नी)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

(4) राजू कुमार, संवेदक (प्रखण्ड—मीनापुर)
Email id-rajupandey07@gmail.com

विषयः— संवेदक पर संविदात्मक दायित्व के तहत कार्रवाई करने के संवंध में।

प्रसंगः— मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना का पत्रांक—14/वि01—1011/2024—805 दिनांक—02.07.2025 तथा अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर का ज्ञापांक—1399 दिनांक—02.07.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर अंतर्गत राज्यव्यापी अभियान के तहत विभिन्न चरणों में हुए जाँच में बंद पाये गये योजनाओं को चालू करने तथा CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में अति शिथिलता बरती जा रही है आवेदित किया गया है। जो बहुत ही खेद का विषय है।

अतः निदेशित किया जाता है कि राज्यव्यापी अभियान के तहत विभिन्न चरणों में हुए जाँच में बंद पाये गये योजनाओं को शीघ्र अति शीघ्र चालू कराते हुए CGRC Portal पर शिकायतों का निष्पादन करते हुए ATR उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें। यदि शिकायतों के निष्पादन में शिथिलता बरती जाती है तो आप के विरूद्ध नियमानुसार संविदात्मक दायित्व के तहत कार्रवाई की जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अनु0:— यथोपरि।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांकः 1465

दिनांकः 29-07-2025

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक (प्रखण्ड–कांटी/मड़वन)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः– PRD योजनाओं के मरम्मति दल मानक के अनुसार कार्य कराने के संबंध में।

प्रसंगः– कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन का पत्रांक–शून्य दिनांक–19.07.2025 (एकरारनामा संख्या–SBD-12 वर्ष 2024–25)

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि (एकरारनामा संख्या–SBD-12 वर्ष 2024–25 के प्रखंड–कांटी/मड़वन का पंचायती राज द्वारा हस्तांनान्तरित योजना से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यो का चार वर्षो के लिए रख–रखाव एवं परिचालन कार्य आपको आवंटित है। प्रत्येक प्रखंड में मानक के अनुसार गैंग (टीम) बनाकर निर्मित योजनाओं का मरम्मति एवं संपोषण किया जाना है। लेकिन आपके द्वारा बहुत सीमित मात्रा में गैंग (टीम) रखा गया है। जिससे योजनाओं को ससमय मरम्मति एवं CGRC का निष्पादन नहीं हो पा रहा है।

अतः निदेशित किया जाता है कि गैंग (टीम) में कितने सदस्य है इसकी विवरणी, इनका मोबाईल नं0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें। ताकि इसका सत्यापन किया जा सकें। विवरणी उपलब्ध नहीं होने के स्थिति में अग्रतर कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

विश्वासभाजन

29.07.2025

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांकः 1470

दिनांकः 30-07-2025

प्रेषकः— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक (प्रखण्ड–कांटी, मड़वन)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः— PRD O&M संवेदक द्वारा CGRC शिकायतों के निष्पादन में रूची नहीं दिखाने के संबंध में।

प्रसंगः— कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन का पत्रांक—शून्य दिनांक—24.07.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन में पिछले तीन दिनों से मरम्मति कार्य बंद है। जिससे प्रखण्ड अंतर्गत CGRC प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमशः 9 एवं 2 हो गई है जिसमें से 2 शिकायत एक सप्ताह से लंबित है। इससे पता चलता है कि CGRC शिकायतों के निष्पादन में आप रूची नहीं ले रहे है। जो बहुत ही खेद का विषय है।

अतः निदेशित किया जाता है कि शेष बचे CGRC शिकायत का शीघ्र अति शीघ्र निष्पादन करते हुए इसकी सूचना कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन के माध्यम से इस प्रमण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें, अन्यथा अग्रतर कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अनु0:— यथोपरि।

विश्वासभाजन
30.07.2025
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 1470 / दिनांकः 30-07-2025 /

प्रतिलिपिः— कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.07.2025
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांक: 1527 /   दिनांक: 07/08/2025 /

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,
मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक (प्रखण्ड–कांटी एवं मड़वन)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषय:- CGRC से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में अभिरूची नहीं लेने के संबंध में।

प्रसंग:- कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी का पत्रांक–शून्य दिनांक–30.07.2025 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी एवं मड़वन द्वारा इस प्रमंडलीय कार्यालय को सूचित किया गया है कि आपके द्वारा CGRC पर शिकायत का निष्पादन शीघ्र नहीं किया जाता है। आपके द्वारा रखी गई मरम्मति दल (टीम) के द्वारा एक दिन कार्य होता है, लेकिन अगले दिन कार्य नहीं होता हैं। इससे पता चलता है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्थाई मरम्मति दल (टीम) नहीं हैं। जिसके कारण शिकायतों के निष्पादन में विलम्ब हो रहा हैं।

वर्तमान में लम्बित CGRC निम्नवत हैं:–

क्र.सं0	प्रखंड	लंबित संख्या
1	कांटी	07
2	मड़वन	10

अतः निदेशित किया जाता है कि पर्याप्त मात्रा में मरम्मति दल (टीम) रख कर CGRC से प्राप्त शिकायतों को शीघ्र अति शीघ्र निष्पादन कराते हुए, इसकी सूचना कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन के माध्यम से इस प्रमंडलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें। अन्यथा अग्रतर कार्रवाई के लिए आप स्वंय जिम्मेवार होंगे।

इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन
[signature] 09.08.025
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांक: 1527 /   दिनांक: 09-08-2025 /

प्रतिलिपि:– कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं निदेशित किया जाता है कि सहायक अभियंता के साथ समन्वय कर स्थिति स्पष्ट करें एवं पत्र उचित माध्यम से ही दें।

[signature] 09.08.025
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांक: 1527 /   दिनांक: 09-08-2025 /

प्रतिलिपि:– सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि मरम्मति दल कि जॉच करते हुए मे0 उमेश पांडेय, संवेदक से समन्वय स्थापित कर CGRC से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन कराते हुए इसकी सूचना इस प्रमंडलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।

[signature] 09.08.2025
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांकः 1664 /

दिनांकः 23-08-2025 /

प्रेषकः—

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक (प्रखण्ड—कांटी, मड़वन)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः— नया CGRC ऐप में प्राप्त शिकायत Escalate होने के संबंध में।

प्रसंगः— कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी एवं मड़वन का पत्रांक—शून्य दिनांक—13.08.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) जो आपको को संबोधित है के संदर्भ में कहना है कि CGRC से प्राप्त शिकायत का निष्पादन विभागीय निर्देशानुसार नया ऐप के माध्यम से करना है, जो पहले रिपेयर दल फिर सुपरवाईजर उसके बाद कनीय अभियंता के ID पर आवेदन प्राप्त होना है। शिकायतों का ऑनलाईन निष्पादन समय से नहीं होने के कारण सभी शिकायत Escalate हो रहा है। अभी तक कांटी से 18 एवं मड़वन से 12 शिकायत Escalate हो चुका है। जिससे अधोहस्ताक्षरी का रैंकिग खराब एवं छवि धूमिल हो रही है। जो बहुत ही खेद का विषय है।

अतः निदेशित किया जात है कि विभागीय निदेशानुसार नये ऐप के माध्यम से ससमय CGRC शिकायतों का निष्पादन कराते हुए कनीय अभियंता प्रशाखा, कांटी/मड़वन के माध्यम से इस प्रमण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें। अन्यथा अग्रतर कार्रवाई हेतु आप स्वयं जिम्मेवाद होंगे।

इसे आवश्यक समझें।

अनु0:— यथोपरि।

विश्वासभाजन

23.08.2025

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

23/08/25

पत्रांकः 1687

दिनांकः 28-08-25

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय, संवेदक, (प्रखण्ड–कांटी, मड़वन एवं कुढ़नी)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः– CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के लंबित रहने के संबंध में।

प्रसगः– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर का ज्ञापांक–1980 दिनांक–27.08.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो आपको संबंधित है कि संदर्भ में कहना है प्रखण्ड–कांटी, मड़वन एवं कुढ़नी अंतर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के मरम्मति एवं संपोषण कार्य आपको आवंटित है। विभागीय निदेशानुसार Leakage Minor Repair हेतु 12 से 24 घंटा, Leakage Major Pepair हेतु 3 से 5 दिन, मोटर पम्प खराबी हेतु–24 घंटा, साधारण मरम्मति हेतु 24 घंटा का समय सीमा निर्धारित है। दिनांक–26.08.2025 को अंचलीय कार्यालय द्वारा CGRC Portal से प्राप्त लंबित शिकायतों को अवलोकन किया गया जिसमें निम्नवत शिकायत लंबित पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है। जो बहुत ही खेद का विषय है।

Sl. No	Sub-Division	Block	Total Pending on CGRC Portal	Pending with in 7 days	Pending with in 7 to 15 days	Pending with in 15 to 30 days	Pending above 30 days
			Total	Total	Total	Total	Total
1	Kanti	Kanti	19	14	5	0	0
2	Kanti	Marwan	6	5	1	0	0
3	Saraiya	Kurhani	22	21	1	0	0

अतः निदेशित किया जाता है कि ससमय CGRC Portal से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र अति शीघ्र निष्पादन नहीं किया जाता है तो 2000=00 प्रतिदिन के दर से आपके विपत्र से कटौती कर ली जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 1687 / दिनांकः 28-08-25 /

प्रतिलिपिः– कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी, मड़वन एवं कुढ़नी को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि संवेदक से समन्वय स्थापित कर CGRC पर लंबित शिकायतों का निष्पादन कराते हुए CGRC Portal पर अपलोड कराते हुए इसकी सूचना इस प्रमण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 1687 / दिनांकः 28-08-25 /

प्रतिलिपिः– सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी एवं सरैया को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से भी CGRC Portal से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन कराना सूनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

पत्रांकः 1792

दिनांकः 12-09-2025

प्रेषकः–

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय, संवेदक, (प्रखण्ड–कांटी एवं मड़वन)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः– CGRC से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के संबंध में।

प्रसगः– कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी एवं मड़वन का पत्रांक–शून्य दिनांक–11.09.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो आपको संबंधित है के संदर्भ में कहना है कि विभागीय निदेशानुसार नल–जल के लघु मरम्मति कार्य हेतु 24 घंटे का समय निर्धारित है। 24 घंटे के अन्दर शिकायत का निष्पादन कर देना है। लेकिन CGRC से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन कराने में सप्ताह से भी अधिक समय लग जा रहा है। इसका कारण यह है कि मरम्मति दल एक दिन काम करता है परन्तु अगले दिन काम नहीं करता है। जिसके कारण शिकायतों का निष्पादन करने में अधिक दिन लग जा रहा है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यो में आपके द्वारा रूचि नहीं लिया जा रहा है। जो बहुत ही खेद का विषय है।

वर्त्तमान में लंबित CGRC निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	प्रखण्ड	लंबित शिकायत
1	कांटी	4
2	मड़वन	4

अतः निदेशित किया जाता है कि उक्त लंबित CGRC से प्राप्त शिकायत का यथाशीघ्र निष्पादन कराते हुए इसकी सूचना कनीय अभियंता, प्रशाखा, कांटी/मड़वन के माध्यम से इस प्रमण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराई जा सके। अन्यथा विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वंय जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

12.09.025

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 1792 / दिनांकः 12-09-2025 /

प्रतिलिपिः-- कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी/मड़वन एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं निर्देश दिया जाता है कि कार्य नहीं करने की स्थिति में सहायक अभियंता के अनुशंसा से दण्डात्मक कार्रवाई करना सूनिश्चित करेंगे।

12.09.025

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

12/09/25

पत्रांक: 1995 .... दिनांक: 01-11-2025

~~2084~~
2108

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक (प्रखंड–कांटी / मड़वन)
Email Id-umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः– PRD योजनाओं के मरम्मति दल मानक के अनुसार कार्य कराने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–1465 दिनांक–29.07.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है, कि प्रखंड–कांटी / मड़वन का पंचायती राज द्वारा हस्तानान्तरित योजना से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यो का चार वर्षो के लिए रख–रखाव एवं परिचालन कार्य आपको आवंटित है। प्रत्येक प्रखंड में मानक के अनुसार गैंग (टीम) बनाकर निर्मित योजनाओं का मरम्मति एवं संपोषण किया जाना है। जिससे योजना को ससमय मरम्मति एवं CGRC का निष्पादन किया जा सकें। पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक–1465 दिनांक–27.07.2025 द्वारा मरम्मति दल की संख्या एवं इनका मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। जो अब तक अप्राप्त है।

अतः पुनः निदेशित किया जाता है कि प्रखण्ड–कांटी / मड़वन अंतर्गत मरम्मति दल की संख्या एवं मोबाईल नम्बर इस प्रमण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।

इसे अति आवश्यक समझें।

for 1/11/25
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।
01/11/25

पत्रांकः 2069

[redacted]

दिनांकः 19-11-2025

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

(1) मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक
कांटी, मुजफ्फरपुर
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

(2) मे0 चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्राईवेट लि0 एजेंसी
ग्राम–सुपना, पो0–गोरीगामा, थाना–सरैया जिला–मुजफ्फरपुर
Email id- choudhary777.ch@gmail.com

(3) श्री सुशांत कुमार,
Email id- sushantkumar7111@gmail.com

विषयः– CGRC के तहत Portal पर दर्ज शिकायत का मानक संचालन प्रक्रिया अंतर्गत निर्धारित समय से निराकरण कर जलापूर्ति चालू नहीं करने हेतु जूर्माने की राशि अधिरोपित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है, कि सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल सरैया का पत्रांक–64 दिनांक–17.11.2025 एवं पत्रांक–65 दिनांक–17.11.2025 द्वारा बंद दिनों का जुर्माने की राशि की कटौती करने हेतु पत्र दिया गया है, एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, मोतीपुर के पत्रांक–163 दिनांक–18.10.2025 एवं पत्रांक–180 दिनांक–18.11.2025 बंद दिनों का जुर्माने की राशि की कटौती करने हेतु पत्र दिया गया है। जबकि पूर्व में आप सभी को लिखित रूप से एवं मौखिक/दुरभाष पर आपको अथवा आपके सुपरवाईजर को CGRC के तहत दर्ज शिकायत का निराकरण कर साक्ष्य के रूप में लोकेशंन के साथ फोटो तथा ATR की मांग की लगातार की जा रही है। परन्तु उक्त कार्य के सम्पादन में आपके माध्यम से काफी विलंब की जा रही है। फलस्वरूप विभाग द्वारा निदेर्शित मानक संचालन प्रक्रिया एवं एकरारनामा के शर्तो के अधिन शिकायतों के निराकरण में हुए विलंब के लिए निम्न प्रकार जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा रही है। जिसकी कटौती आपके विपत्र से कर ली जायेगी तथा 24 घंटे के अन्दर अगर लंबित शिकायतों को फिर भी निराकरण कर ATR नहीं दिया जाता है तो आपके विरूद्ध पुनः कार्यवाई प्रारंभ कर दी जायेगी जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्र0	एजेंसी/संवेदक का नाम	एकरारनामा सं0	प्रखण्ड का नाम	वार्ड नं0	CGRC लंबित शिकायत		कुल जुर्माने की राशि	अभ्युक्ति
					कुल लंबित शिकायत की दिनों की सं0	जुर्माने की राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मे0 उमेश पाण्डेय	SBD-13/2024-25	कुढ़नी	2,7,3,10,15	13	2,000.00	26,000.00	
2	मे0 चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0	SBD-18/2024-25	मोतीपुर	07	12	2,000.00	24,000.00	
3	श्री सुशांत कुमार	SBD-80/2019-20	मोतीपुर (नगर पंचायत)	05,02,07,09,	150 दिन	20,000.00	300,000.00	

अनु0:– यथोपरि।

विश्वासभाजन

19.11.025

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

19/11/25

दिनांक: 27/11/2025

पत्रांक: 2105

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक (प्रखण्ड–कांटी,मड़वन एवं कुढ़नी)
Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः– PRD योजनाओं के मरम्मति दल मानक के अनुसार कार्य कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि (एकरारनामा संख्या–SBD-12 वर्ष 2024–25 के प्रखंड–कांटी/मड़वन एवं (एकरारनामा संख्या–SBD-13 वर्ष 2024–25 के प्रखंड–कुढ़नी का पंचायती राज द्वारा हस्तानान्तरित योजना से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यो का चार वर्षो के लिए रख–रखाव एवं परिचालन कार्य आपको आवंटित है। प्रत्येक प्रखंड में मानक के अनुसार गैंग (टीम) बनाकर निर्मित योजनाओं का मरम्मति एवं संपोषण किया जाना है। लेकिन आपके द्वारा बहुत सीमित मात्रा में गैंग (टीम) रखा गया है। जिससे योजनाओं को ससमय मरम्मति एवं CGRC का निष्पादन नहीं हो पा रहा है।

अतः निदेशित किया जाता है कि गैंग (टीम) को प्रर्याप्त संख्या में बढ़ते हुए उनकी संख्या एवं मोबाईल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें। ताकि CGRC से संबंधित समस्याओं का ससमय निष्पादन किया जा सकें।

इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

ज्ञापांकः 2105 / दिनांकः 27/11/25 /

प्रतिलिपिः– सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी एवं सरैया को सूचनार्थ प्रेषित एवं उन्हें निदेशित किया जाता है,. कि उक्त प्रखण्ड में गैंग (टीम) प्रर्याप्त संख्या में संवेदक द्वारा नहीं रखे जाने पर उचित कार्रवाई कर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मोतीपुर।

ज्ञापांकः 2105 / दिनांकः 27/11/25 /

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मोतीपुर।

03/12/25

2105

पत्रांक: 2115 दिनांक: 01/12/2025

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

प्रेषित,

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी।

विषय:- इस्क्लेट हुए CGRC शिकायतों पर आर्थिक दंड लगाने हेतु।

प्रसंग:- कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी का पत्रांक—शून्य दिनांक—20.11.2025, पत्रांक-शून्य, दिनांक-10-11-2025, पत्रांक-शून्य, दिनांक-13-08-2025, पत्रांक-शून्य, दिनांक-30-07-25, पत्रांक-शून्य, दिनांक-11-09-25, पत्रांक-शून्य दिनांक-07-11-2025, पत्रांक-शून्य दिनांक-19-07-25, पत्रांक-शून्य दिनांक-20-11-2025

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है, कि ऑनलाइन से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन समय सीमा के अंदर करना है। जो PRD O&M संवेदक द्वारा समय सीमा के अंदर CGRC शिकायतों का निष्पादन नहीं किया जाता है। जिसके कारण CGRC शिकायतें इस्क्लेट हो गई है। कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी द्वारा इस्क्लेट हुए CGRC शिकायतों पर संवेदक श्री उमेश पाण्डेय, एकरानामा संख्या– SBD-12 वर्ष–2024–25 में 86000=00 (छीयासी हजार) मात्र रूपये का आर्थिक दंड लगाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

अतः निदेशित किया जाता है, कि दिनांक–07.11.2025 को इस्क्लेट हुए CGRC शिकायत का कटौती इतने दिनों बाद क्यों किया गया। इस संबंध में कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण के साथ अनुपालन प्रतिवेदन इस प्रमण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

01.12.2025

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

1/12/25

2104

पत्रांक 79 / दिनांक 10-01-2026

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल,
मोतीपुर।

सेवा में,

श्री उमेश पाण्डेय,
सम्वेदक
पता– सैन पट्टी, पो0– सैन,
थाना– काँटी, जिला– मुजफ्फरपुर,
पिन–843109
मो0– 9661992680
Email ID- umeshpandeymuz@gmail.com

विशय :– पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के तहत कुढ़नी प्रखंड में आपको आवंटित योजनाओं के मरम्मति एवं संपोशण के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 48 दिनांक 08.01.2026 एवं पत्रांक 68 दिनांक 09.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में कहना है कि प्रमंडलीय एकरारनामा संख्या SBD-13/2024-25 के अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड में पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं का मरम्मति एवं संपोषण का कार्य आपको आवंटित है जिसके तहत उक्त योजनाओं अंतर्गत प्राप्त त्रुटियों का निराकरण विभागीय पत्रांक 543 दिनांक 28.06.2021 के आलोक में निर्धारित अवधि के अन्दर किया जाना है।

दिनांक 09.01.2026 को संध्या में CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समीक्षा में कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत लंबित शिकायतों की संख्या 106 से बढ़कर 112 अदद पायी गई है। इन 112 अदद शिकायतों में 64 अदद शिकायतें 24 घंटे के अन्दर, 35 अदद शिकायतें विगत 72 घंटे, 7 शिकायतें 168 घंटे (4–7 दिन), 5 शिकायतें 8–15 दिन तथा 1 अदद शिकायत 16–30 दिन के अवधि की है।

शिकायतों के अवलोकन के फलस्वरूप अत्यधिक लंबित वाले पंचायतों यथा किशुनपुर मधुबन पंचायत में 11 अदद, बंगरा बंशीधर में 9 अदद, बलौर डीह में 8 अदद,, किशुनपुर बलौर में 8 अदद, दुबियाही में 7 अदद, जम्हरूआ में 6 अदद, कुढ़नी में 6 अदद, सुमेरा में 5 अदद, जगरनाथपुर में 5 अदद, बसौली में 4 अदद, फकुली में 4 अदद, हरिशंकर मनियारी में 4 अदद, अख्तियारपुर परैया में 3 अदद शिकायतें लंबित हैं। इसके अतिरिक्त अमरख, चढ़ुआ, दरियापुर कफेन, खरौना डीह, किशुनपुर मधुबन, मोहम्मदपुर मोबारक, पखाही तथा शाहपुर मिर्चा में 2–2 अदद एवं चैनपुर वाजिद, चकिया, छाजन हरिशंकर पश्चिमी, हरपुर बलरा, रजला, रतनौली, सकरी सरैया एवं सोनवर्षा पंचायत में 1–1 अदद शिकायतें लंबित हैं।

इस प्रमंडल अंतर्गत कुढ़नी सर्वाधिक पंचायतों वाला प्रखंड है एवं आपके एकरारनामा अंतर्गत 550 योजनाएँ हैं। ऐसी स्थिति में 20 से अधिक मरम्मति दल की आवश्यकता है किन्तु, आपके द्वारा न्यूनतम 20 मरम्मति दल भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। दैनिक प्रपत्र–।। के अनुसार कनीय अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कुढ़नी द्वारा माँगे गये मरम्मति दल में 07.01.2026 को कुल प्लम्बर 8 अदद की जगह 4 अदद, कुल हेल्पर की संख्या 16 की जगह 8 अदद एवं कुल बिजली मिस्त्री 3 की जगह शून्य उपलब कराया गया है। क्रमशः दिनांक 08.091.2026 को भी कुल

2/03

पत्रांक 89 / दिनांक 11.01.026

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल,
मोतीपुर।

सेवा में,

श्री उमेश पाण्डेय,
सम्वेदक
पता– सैन पट्टी, पो0– सैन,
थाना– काँटी, जिला– मुजफ्फरपुर,
पिन–843109
मो0– 9661992680
Email ID- umeshpandeymu.@gmail.com

विषय :- पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के तहत कुढ़नी प्रखंड में आपको आवंटित योजनाओं के मरम्मति एवं संपोषण के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 48 दिनांक 08.01.2026, पत्रांक 68 दिनांक 09.01.2026 एवं पत्रांक 73 दिनांक 10.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों का स्मरण करें। उक्त पत्र द्वारा कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत आपको आवंटित नल–जल योजनाओं के मरम्मति एवं संपोषण हेतु आवश्यक मरम्मति दल लगाने एवं CGRC Portal पर लंबित शिकायतों का निष्पादन करने हेतु निदेशित किया गया था किन्तु, दिनांक 10.01.2026 को मरम्मति कार्य हेतु योजनावार लगाये गये प्रखंडवार मरम्मति दलों की संख्या से सम्बन्धि दैनिक प्रतिवेदन "प्रपत्र–।।" के अनुसार कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत 86 अदद प्लंबर एवं 113 अदद हेल्पर की आवश्यकता के विरूद्ध क्रमशः उपलब्ध कराये गये प्लम्बर की संचय 8 अदद एवं हेल्पर की संख्या– 16 अदद है। फलस्वरूप CGRC Portal पर लंबित शिकायतों की संख्या के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है।

आज दिनांक 11.01.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों का अवलोकन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्र0	दिनांक	अद्यतन प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की कुल संख्या							अभ्युक्ति
			0–1 दिन के अंदर	2–3 दिन के अंदर	4–7 दिन के अंदर	8–15 दिन के अंदर	16–30 दिन के अंदर	30 दिन से अधिक	कुल	
1	09.01.26	718	64	35	7	5	1	0	112	
2	11.01.26	733	11	25	15	7	1	0	59	

उपर्युक्त तालिका के अनुसार आपके द्वारा शिकायतों का निष्पादन किया गया है, यह परीलक्षित होता है लेकिन, इसके साथ–साथ यह भी उल्लेखनीय है आपके द्वारा पुराने शिकायतों का समाधान नहीं किया गया। फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़ गई/यथावत है।

Sub-Category के अनुसार लंबित शिकायतें लिकेज– 5 अदद (High Level-3, Samll Level- 2), गृह जल संयोजन– 8 अदद (Existing Pipe Line- 4, No Pipe Line- 4), स्टैंड पोस्ट से पानी

पत्रांक 200 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 19-01-2026/

प्रेषक:— कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल,
मोतीपुर।

सेवा में,
उमेश पाण्डेय एजेंसी (प्रखण्ड–कांटी)
Email Id-umeshpandeymuz1@gmail.com

विषय:— CGRC Portal पर प्राप्त Complaint के निष्पादन में लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग:— सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी का पत्रांक–01 दिनांक–16.01.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो आपको सम्बोधित है कि लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर अंतर्गत प्रखण्ड–कांटी में दिनांक–16.01.2026 के संध्या तक मात्र–04 Complaint (Leakage) का कार्य का निष्पादन कराया गया, जिससे कुल– CGRC Portal पर Pending Complaint 26 हो गया। कनीय अभियंता, प्रशाखा कांटी द्वारा बताया गया कि मात्र–06 स्थल पर मरम्मति दल (Team) लगाया गया, जो Complaint के निष्पादन हेतु काफी कम है, विभागीय आदेशानुसार प्रत्येक प्रमण्डल में 20 अदद दल (Team) लगाना है। जिससे शिकायतों का निष्पादन यथाशीघ्र हो सकें। मरम्मति दल प्रयाप्त मात्रा में नहीं लगाना विभागीय आदेशों कि अवहेलना है। जिससें पता चलता है कि कार्यों के प्रति आपके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जो बहुत ही खेद का विषय है।

अतः निदेशित किया जाता है कि CGRC Portal पर प्राप्त Complaint का यथाशीघ्र निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन अपने स्पष्टीकरण के साथ इस प्रमण्डलीय कार्यालय एवं अवर प्रमण्डलीय कार्यालय कांटी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके एकरारनामा के विरूद्ध उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित कर दी जाएगी। जिसकी जवाबदेही आपकी होगी।

इसे आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन
19.01.026
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

ज्ञापांक 200 / दिनांक 19-01-2026 /

प्रतिलिपि:—सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.01.026
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

ज्ञापांक............/ दिनांक.........................../

प्रतिलिपि:—अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

दिनांक:- 16/01/2025 /

पत्रांक:- 01 /

प्रेषक:- सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कांटी।

सेवा में,
मे0 उमेश पांडेय संवेदक (प्रखंड–कांटी)
Email Id-Umeshpandeymuz1@gmail.com

विषयः– CGRC Portal पर प्राप्त Complaint के निष्पादन में लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मोतीपुर का पत्रांक–147 दिनांक–15.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है, कि लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कांटी अंतर्गत कांटी प्रखंड में आज दिनांक–16.01.2026 के संध्या तक मात्र 4 Complaint (Leakage) पर कार्य कर निष्पादन किया गया है, जिससे की कुल CGRC Portal पर Pending Complaint 26 हो गया है। कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कांटी द्वारा बताया गया कि आज मात्र 6 स्थल पर मरम्मति दल (Team) डाला गया, जो की Complaint निपटारा के दृष्टिकोण से काफी ही कम है। जो आपके कार्य के प्रति उदासिनता, लापरवाही एवं विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करना दर्शाता है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपको निदेशित किया गया है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है, कि 24 घंटा के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें की क्यों न आपकों नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु उच्चाधिकारीयों को अनुशंसा कर दी जाए।

विश्वासभाजन
(signature) 16/01/2025
सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल,
कांटी।

ज्ञापांक– 01 / दिनांकः– 16/01/2025 /

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(signature) 16/01/2025
सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल,
कांटी।

57 33632/26

2088/8100

पत्र संख्या –26 / विविध–06–30 / 2026 .... /

2122

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
10 JUN 2026
संख्या.............

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी के अंतर्गत A.E work for construction of crated boulder bed bars slope pitching with crated boulders in vill-jamla near Bagmati left afflux embankment km 1.00 to 2.0" (Agenda No-220/54/2025) एकरारनामा सं0–03SBD/2025-26 दिनांक–31.01.2026 के तहत संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 57, रामजानकी भवन, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–20.03.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनांक–14.05.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 70 प्रतिशत हीं रही, जो अपेक्षित प्रगति से काफी कम है।

उपर्युक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक–20.03.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित था। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

11 JUN 2026
बिहार, पटना

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2055 दिनांक–14.05.2026 द्वारा संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 57, रामजानकी भवन, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2655 दिनांक–19.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–231 दिनांक–24.05.2026 से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

4. संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 73 प्रतिशत हीं है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि से लगभग 2½ महीनो के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है।

4213
15.6.26

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास संवेदक द्वारा नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति लापरवाहीं एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार

2087

(2079) ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 57, रामजानकी भवन, मछलीटोली, अशोका टावर के नजदीक, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना, पिन कोड–800014 (निबंधन सं0–WRD121225C10P85, श्रेणी–प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है। (21)

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध–06–30/2026 पटना/दिनांक :.................................

प्रतिलिपिः– अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, एम0डी0–धनंजय कुमार सिंह, 57, रामजानकी भवन, मछलीटोली, अशोका टावर के नजदीक, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना, पिन कोड–800014 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–30/2026 3133 पटना, दिनांक : 17.6.126

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/6/25
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

5754863/26

2098

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
12 JUN 2026
संख्या P

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक M/S Raja Constrution(Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत पथ निर्माण हेतु संवेदक M/S Raja Construction(Regd. No-1250265) को कुल 05(पांच) पैकेज आवंटित किया गया।

उक्त पैकेज निम्नवत है:–

क्र0स0	पैकेज संख्या	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि
1	RRSMP/24-25/Imamganj/01	07.05.2025	06.05.2026
2	RRSMP/24-25/Imamganj/02	07.05.2025	06.05.2026
3	RRSMP/24-25/Imamganj/03	08.05.2025	07.05.2026
4	RRSMP/24-25/Imamganj/04	08.05.2025	07.05.2026
5	RRSMP/24-25/Imamganj/05	08.05.2025	07.05.2026

E.i.h. C(HQ)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
16 JUN 2026

एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा सभी पैकेज के अधीन समानुपातिक रूप से पथ निर्माण कार्य नहीं कराने के कारण संवेदक के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु मुख्य अभियंता–02(गया) का पत्रांक 2070 अनु0 दिनांक 15.10.2025 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। अनुशंसा के आलोक में संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 25.11.2025 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए खादान में समाग्री की अनुपलब्धता का उल्लेख किया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज द्वारा संवेदक के स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य के अनुसार पैकेज संख्या 1, 2, 3 एवं 5 में 25% से भी कम काम हुआ है। पैकेज संख्या–4 में 50% से भी कम काम हुआ है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी पांच पैकेज में से चार पैकेज में 25% से भी कम काम होना संतोषप्रद नहीं है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा पथ निर्माण कार्य करने में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। तदालोक में संवेदक के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन एम0एम0जी0एस0यू0वाई0 योजनान्तर्गत पथ निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुरूप पूर्ण नहीं किये जाने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक संवेदक M/S Raja Constrution(Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

4312
17.6.26

P.T.O.

(2097)

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—303 / 2025 7307 / पटना, दिनांकः—10.6.26

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—303 / 2025 7307 / पटना, दिनांकः—10.6.26

निबंधित

प्रतिलिपि M/S Raja Constrution(Regd. No-1250265), Add-Taj Colony, Panchayati khara, Dist-Gaya, Pin-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—303 / 2025 7307 / पटना, दिनांकः—10.6.26

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—303 / 2025 7307 / पटना, दिनांकः—10.6.26

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

5733557/26

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
10 JUN 2026
संख्या.......

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–308/2025 7053 /पटना, दिनांक– 05.6.26

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन Package No.- MMGSY (AWSESH-SC) – Motihari-476 (Tender Id-12025_RWD_142333_1) में दिनांक 23.09.2025 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के द्वारा लिए गये निर्णय के विरूद्ध M/S SSS Construction पर निविदाकार M/S Rudra Enterprises द्वारा यह परिवाद दिया गया है कि इनके द्वारा निविदा में प्रस्तुत EPF Registration पूर्णतः जाली है। जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी का ज्ञापांक 2280 अनु0 दिनांक 15.09.2025 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि निविदा में संलग्न Establishment Code-BRMUZ2687425742 है जिसे EPF Online जाँच करने पर पाया गया कि यह EPF Parasmani Sheetalya Pvt. Ltd. Gandhi Nagar Gujrat को आवंटित है।

संदर्भित निविदा में Establishment Code-BRMUZ2687425742 की जॉच हेतु EPF, Sub Regional Office Muzaffarpur को इस कार्यालय का पत्रांक–2112 अनु0 दिनांक 20.08.2025 को पत्र दिया गया था, जिसके जवाब में उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त Establishment Code-BRMUZ2687425742 उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है एवं पूर्णतः जाली होने के कारण विभागीय गैर सरकारी प्रेषण संख्या–134 अनु0 दिनांक 11.11.2025 द्वारा संवेदक M/S S S S Construction (Registration No. 1250236) Add:- Gram-Sitakund Badiwan Madhuban P.O- Pipra Bhaya Damodarpur, Dist East Champaran Bihar Pincode: 845416 के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 12448 अनु0 दिनांक 11.12.2025 द्वारा संवेदक M/S S S S Construction (Registration No. 1250236) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उनके विरूद्ध दायर परिवाद अमान्य किये जाने की बात कही गयी है, जबकि जाली EPF समर्पित किये जाने के बिन्दु पर साक्ष्य सहित पक्ष नहीं रखा गया है।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर नोडल पदाधिकारी, MMGSY द्वारा मंतव्य अंकित किया गया कि निविदा में संलग्न EPF के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक M/S S S S Construction (Registration No. 1250236) Add:- Gram- Sitakund Badiwan Madhuban P.O- Pipra Bhaya Damodarpur, Dist East Champaran Bihar Pincode: 845416 के निबंधन संख्याः–2150027, PAN No. ABRFS2310R को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

ह0/- 04/06/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

क0प्र0उ0

25

2095

निबंधित

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–308 / 2025 7053 / पटना, दिनांक– 05.6.26

प्रतिलिपि– संवेदक M/S S S S Construction (Registration No. 1250236) Add:- Gram- Sitakund Badiwan Madhuban P.O- Pipra Bhaya Damodarpur, Dist East Champaran Bihar Pincode: 845416 को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2026
अभियंता प्रमुख 05.6.26

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–308 / 2025 7053 / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/06/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–308 / 2025 7053 / पटना, दिनांक– 05.6.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–308 / 2025 7053 / पटना, दिनांक– 05.6.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/06/2026
अभियंता प्रमुख

Website

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–308 / 2025 7053 / पटना, दिनांक– 05.6.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

05/06/2026
अभियंता प्रमुख

56368838/26

2074

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग संख्या........ 22 MAY 2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–111/2026 /पटना, दिनांक–

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर के अधीन आसोपुर सूर्य मंदिर पथ से ओम नगर पथ में निर्मित पुलिया का Head Wall गिरने की शिकायत पर विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा स्थल की निरीक्षण की गयी जिसमे पुलिया का Foundation का कार्य अभियंताओं को बिना सूचना दिये कराया गया। पुलिया Foundation का निर्माण डी0पी0आर0 में किये गये प्रावधान एवं विशिष्टियों के अनुरूप नहीं किये जाने तथा इसे तोड़ने के समय अभियंताओं को सूचित नहीं करने, सावधानी नहीं बरतने तथा मजदूर के साथ हुई दुर्घटना के लिए संवेदक दोषी है। संवेदक Santosh Kumar (Registration No. 1220146), S/O Ram Parvesh Singh. Molahimpur. Amahra, Patna Pincode 841301 के विरूद्ध एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के आलोक में नियमानुसार एकरारनामा विखंडन करने तथा कालीसूची में दर्ज करने हेतु विभागीय पत्रांक 01 कैम्प, पटना दिनांक 21.03.2026 द्वारा अनुशंसा की गयी।

Engineer-in-chief

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 4324 अनु0 दिनांक 08.04.2026 एवं पत्रांक 5289 दिनांक 22.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

22 MAY 2026

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें कनीय अभियंता के निदेश में कार्य होने की स्थिति में सुधारात्मक कार्य की सूचना नहीं देने की बात कहीं गयी है। दुर्घटनाग्रस्त मजदूर के स्वास्थ्य होने की बात कही गयी, परन्तु दुर्धटनाग्रस्त होने की जिम्मेदारी के संदर्भ में कुछ नहीं उल्लेख किया गया है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–6123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एव 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Santosh Kumar (Registration No. 1220146), S/O Ram Parvesh Singh. Molahimpur. Amahra, Patna Pincode 841301 के निबंधन संख्याः–1220146, PAN No. CYLPK8171P को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

14/05/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–111/2026 6044 /पटना, दिनांक–15/5/26

प्रतिलिपि– संवेदक Santosh Kumar (Registration No. 1220146), S/O Ram Parvesh Singh. Molahimpur. Amahra, Patna Pincode 841301 को सूचनार्थ प्रेषित।

14/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–111/2026 6044 /पटना, दिनांक–15/5/26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/05/2026
अभियंता प्रमुख

1205
15.6.26

क्0प्0उ0

(207)

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–111 / 2026 6044 / पटना, दिनांक– 15/5/26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–111 / 2026 6044 / पटना, दिनांक– 15/5/26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–111 / 2026 6044 / पटना, दिनांक– 15/5/26

बंधित

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी को संवेदक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निमित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–111 / 2026 6044 / पटना, दिनांक– 15/5/26

osite

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

14/05/2026

अभियंता प्रमुख

57 33541/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
10 JUN 2026
संख्या.........

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–14–52 / 2026 6978 / पटना, दिनांक– 04.6.26

संवेदक Amarnath Jha (Reg. No. 1190526/ 1260019), At- Ward No.-13, Benipur, Nagar Prishad, Gram-Kishanpur, Nawada-Dist-Darbhanga Bihar Pincode 847201 को कार्य प्रमंडल, बिरौल के अधीन MMGSY (SC) योजनान्तर्गत Gajjouri North to Rakhathi Sima पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्याः– **13MBD/2020-21** के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.06.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 09.06.2021 था। उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल द्वारा एकरारनामा संख्याः–**13MBD/2020-21** को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 1891 दिनांक 12.02.2026 एवं पत्रांक 3665 दिनांक 19.03.2026 द्वारा संवेदक Amarnath Jha (Reg. No. 1190526/ 1260019) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें संदर्भित पथ का निर्माण कार्य 70% पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल के पत्रांक 829 दिनांक 06.05.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य 30% पूर्ण किया गया है, जो कार्य की प्रति लापरवाही एवं एकरारनामा के शर्त्तो का उल्लंघन है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Amarnath Jha (Reg. No. 1190526/ 1260019), At- Ward No.-13, Benipur, Nagar Prishad, Gram-Kishanpur, Nawada Dist-Darbhanga Bihar Pincode 847201 के निबंधन संख्याः–1190526/1260019, **PAN-AEBPJ3570R** को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

सह-4210
15.6.26

Sd/- 27.05.2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–52 / 2026 / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– संवेदक Amarnath Jha (Reg. No. 1190526/ 1260019), At- Ward No.-13, Benipur, Nagar Prishad, Gram-Kishanpur, Nawada Dist-Darbhanga Bihar Pincode 847201 को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 27.05.2026
अभियंता प्रमुख

P.T.O

25

(2091)

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–52 / 2026 6978 / पटना, दिनांक–04.6.26

प्रतिलिपि–प्रधान -सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–52 / 2026 6978 / पटना, दिनांक–04.6.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–52 / 2026 6978 / पटना, दिनांक–04.6.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–52 / 2026 6978 / पटना, दिनांक–04.6.26

'ebsite

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख

57 33552/26

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
10 JUN 2026
संख्या........

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–14–102 / 2026 7052 / पटना, दिनांक– 05.6.26

संवेदक Ajit Kumar Singh, (Reg. No. 2150027), Add:- At-Dr. Braj Mohan Gali, Sanjay Cinema Road, Brahmpura, Post- M.I.T, P.S-Brahmpura, Dist-Muzaffarpur, Pincdoe-842003 द्वारा कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–01 के अधीन योजनाशीर्ष MMGSY अन्तर्गत एन0एच0 102 रेवा रोड से रेवा डीह चौबे (अम्बारा देवी स्थान) तक पथ मरम्मति कार्य एवं कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–02 के अधीन योजनाशीर्ष MMGSY अन्तर्गत अधीन भुसरा हथौरी परी सड़क से मलियाडीह पथ शर्मा हरिजन टोला तक पथ निर्माण कार्य की निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र, फर्जी पैमेन्ट सटिफिकेट एवं फर्जी बैंक सटिफिकेट का उपयोग करने के कारण विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संदर्भित संवेदक के निबंधन संख्या को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 175 अनु0 दिनांक 12.01.2024, पत्रांक 3050 दिनांक 20.09.2024, 3276 दिनांक 22.10.2024 एवं पत्रांक 3948 दिनांक 30.3.2026 द्वारा संवेदक Ajit Kumar Singh, (Reg. No. 2150027) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

अतएव विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Ajit Kumar Singh, (Reg. No. 2150027), Add:- At-Dr. Braj Mohan Gali, Sanjay Cinema Road, Brahmpura, Post- M.I.T, P.S-Brahmpura, Dist-Muzaffarpur, Pincdoe-842003 के निबंधन संख्या–2150027, PAN No. BIWPS7282M को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

04/06/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–102 / 2026 7052 / पटना, दिनांक– 05.6.26

प्रतिलिपि– संवेदक Ajit Kumar Singh, (Reg. No. 2150027), Add:- At-Dr. Braj Mohan Gali, Sanjay Cinema Road, Brahmpura, Post- M.I.T, P.S-Brahmpura, Dist-Muzaffarpur, Pincdoe-842003 को सूचनार्थ प्रेषित।

04/06/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–102 / 2026 7052 / पटना, दिनांक– 05.6.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/06/2026
अभियंता प्रमुख

कृ0प्र0उ0

4212
15.6.26

25

2089

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–102 / 2026 7052 /पटना, दिनांक– 05.6.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/06/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–102 / 2026 7052 /पटना, दिनांक– 05.6.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/06/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–102 / 2026 7052 /पटना, दिनांक– 05.6.26

Website

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

04/06/2026
अभियंता प्रमुख

पत्र संख्या –26 / विविध–06–32 / 2026 ..../ 5733622/2

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
10 JUN 2026
संख्या.......F......

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया के अंतर्गत Anti Erosion work in Jhalladas & Gyanidas tola on the Left bank of river Ganga कार्य Agenda No-244/34/2026 के तहत संवेदक मेसर्स बृज नन्दन सिंह, पार्ट–बृज नन्दन सिंह जिला–भोजपुर, बिहार को आवंटित किया गया।

E-in-C (HQ)

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनांक–03.06.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 23 प्रतिशत हीं है, जो अपेक्षित प्रगति 50 प्रतिशत से काफी कम है।

11 JUN 2026

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार के पत्रांक–1813 दिनांक–25.05.2026 द्वारा संवेदक मेसर्स बृज नन्दन सिंह, पार्ट–बृज नन्दन सिंह जिला–भोजपुर, बिहार को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2851 दिनांक–27.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–01.06.2026 से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

4. संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 23 प्रतिशत हीं है, जो वर्क प्रोग्राम के अनुसार समानुपातिक नहीं है। साथ ही स्थल पर कराये जाने वाले सभी महत्वपूर्ण Items के कार्यान्वयन की दैनिक प्रगति, कार्यरत श्रमबल एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की उपलब्धता भी अपेक्षाकृत कम है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद संवेदक द्वारा समानुपातिक प्रगति लाने हेतु विशेष प्रयास नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति लापरवाहीं एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

4214
15-6-26

अतः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक मेसर्स बृज नन्दन सिंह, पार्ट–बृज नन्दन सिंह, ग्राम+पो0–लहठान, जिला–भोजपुर, बिहार पिनकोड–802202 (निबंधन सं0–WRD270426C1PF24170467, श्रेणी–प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया जाता है।

ह0 / –
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

2088 ज्ञापांक : 26 / विविध–06–32 / 2026 पटना / दिनांक :..................................

प्रतिलिपिः– मेसर्स बृज नन्दन सिंह, पार्ट–बृज नन्दन सिंह, ग्राम+पो0–लहठान, जिला–भोजपुर, बिहार, पिनकोड–802202 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–32 / 2026 3128 पटना, दिनांक : 5/6/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

S7 33606/26

पत्र संख्या –26 / विविध–01–06 / 2026 ..../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
10 JUN 2026
संख्या..............

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी के अंतर्गत AE work for construction of 30 nos. bed bars and slope pitching at jamala rasulpur village in total length of 1314 m and Bairganya ring bundh 900 m Under Bagmati Division, Sitamarhi का कार्य एकरारनामा सं0–4SBD/2025-26 (Agenda No-214/23/2024) दिनांक–11.03.2026 के तहत संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 57, रामजानकी भवन, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–15.05.2026 थी।

11 JUN 2026

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनांक–08.05.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 16 प्रतिशत हीं रही, जो अपेक्षित प्रगति से काफी कम है।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक–15.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1972 दिनांक–11.05.2026 द्वारा संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 57, रामजानकी भवन, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2718 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–232 दिनांक–24.05.2026 से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

4. संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 30 प्रतिशत हीं है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास संवेदक द्वारा नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति लापरवाहीं एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

2118 2083

अतः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 57, रामजानकी भवन, मछलीटोली, अशोका टावर के नजदीक, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना, पिन कोड–800014 (निबंधन सं0–WRD121225C10P85, श्रेणी–प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध--01–06/2026 पटना/दिनांक :...

प्रतिलिपिः– अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, एम0डी0–धनंजय कुमार सिंह, 57, रामजानकी भवन, मछलीटोली, अशोका टावर के नजदीक, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना, पिन कोड–800014 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26/विविध–01–06/2026 3115 पटना, दिनांक :...5/6/26...........

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

5733627/26

पत्र संख्या –26/विविध–01–13/2026 ..../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
10 JUN 2026
संख्या...................

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के अंतर्गत बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि0मी0 58.00 कि0मी0 से 59.20 कि0मी0 के सामने ग्राम गंगापुर भुसौला नन्दपुर तथा दामोदरपुर (अर्जुइनिया) के समीप गंगा नदी के दायें तट पर कटाव निरोधक कार्य (Agenda No-244/38/2026) एकरारनामा सं0–01SBD/2026-27 दिनांक–02.05.2026 के तहत संवेदक मेसर्स सिंधुजा इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, गया, बिहार को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 15.07.2026 है।

11 JUN 2026

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर अपेक्षित प्रगति लाने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर मशीनरी, सामग्री एवं श्रमबल की बढ़ोतरी कर अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना के पत्रांक–1955 दिनांक–21.05.2026 द्वारा संवेदक मेसर्स सिंधुजा इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, गया, बिहार को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2815 दिनांक–26.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–SEC/MISC/0039/26 दिनांक–30.05.2026 से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

4. संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता, विशिष्टि एवं प्राक्कलन में प्रावधान के अनुरूप पूर्ण कराने के उद्देश्य से दिवा–रात्रि प्रत्येक पाली में लगभग 500 अद्द श्रमबल लगाकर कार्य कराने हेतु दिये गये निदेश के बावजूद संवेदक द्वारा श्रमबल की संख्या में वांछित बढ़ोतरी नहीं की गयी, फलस्वरूप वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 05 प्रतिशत हीं है, जो वर्क प्रोग्राम के अनुसार समानुपातिक नहीं है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद संवेदक द्वारा समानुपातिक प्रगति लाने हेतु विशेष प्रयास नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक मेसर्स सिंधुजा इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रो0–रिभा शर्मा, ग्राम+पो0–मऊ, टेकारी, गया, बिहार, पिन कोड–824235 (निबंधन सं0– WRD180126C1PR102016, श्रेणी प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण

होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

(2081)

ह0/–

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध–01–13/2026 पटना/दिनांक :.................................

प्रतिलिपिः– मेसर्स सिंधुजा इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रो0–रिभा शर्मा, ग्राम+पो0–मऊ, टेकारी, गया, बिहार, पिन कोड–824235 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26/विविध–01–13/2026 3153 पटना, दिनांक :8/6/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/6/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

5715929/26

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०- प्र०-3/ल०ज०सं०(अपील अभ्यावेदन)-15/2026

विषयः- संवेदक मेसर्स संतलोचन डेवलपर्स प्रा० लि० (प्रो०- श्री तरूण लाल), बिरला पब्लिक स्कूल के सामने, निजामुद्धीनपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, जहानाबाद, पिन कोड-804408 के अपील अभ्यावेदन के संबंध में ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
05 JUN 2026
संख्या........

आदेश

संवेदक मेसर्स संतलोचन डेवलपर्स प्रा० लि० (प्रो०- श्री तरूण लाल), बिरला पब्लिक स्कूल के सामने, निजामुद्धीनपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, जहानाबाद, पिन कोड-804408 द्वारा मुख्य अभियंता (यो०+अनु०+भू०), लघु जल संसाधन विभाग, पटना कार्यालय के आदेश सं०-68 सह-पठित ज्ञापांक-1283 दिनांक-11.12.2025 के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन पर अन्तिम रूप से दिनांक-29.05.2026 को सुनवाई की गयी ।

2. लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर, मोहनियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0-01/2022-23 के ग्रुप सं0-3 एवं ग्रुप सं0-6 तथा लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2022-23 के ग्रुप सं0-1 एवं ग्रुप सं0-2, पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-07/2022-23, निविदा आमंत्रण सूचना सं0-04/2022-23 के ग्रुप सं0-3 एवं ग्रुप सं0-4 की निविदा में संवेदक श्री तरूण लाल द्वारा संलग्न किये गये बैंक प्रतिभूति (बी०जी०) फर्जी पाये जाने के कारण उन्हें मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना कार्यालय के उक्त आदेश द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया ।

06 JUN 2026

3. संवेदक/अपीलकर्ता श्री तरूण लाल द्वारा अपील अभ्यावेदन पर दिनांक-09.02.2026 को सुनवाई के क्रम में दिये गये निदेश के अनुपालन में एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके साथ मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-505 दिनांक-01.09.2021 की प्रति संलग्न करते हुए काली सूची से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया ।

4. मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-505 दिनांक-01.09.2021 द्वारा अन्य संवेदक श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा निविदा में डाले गये अनुभव प्रमाण पत्र के फर्जी होने की शिकायत के संबंध में उन्हें चेतावनी देते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने अन्यथा FIR की कार्रवाई के साथ निबंधन को काली सूची में डालने की कार्रवाई संबंधी चेतावनी के साथ मामले का निष्पादन कर दिया गया ।

तदालोक में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-1615 दिनांक-06.03.2026 द्वारा श्री तरूण लाल के अभ्यावेदन दिनांक-09.02.2026 की प्रति मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना को भेजते हुए श्री धर्मेन्द्र कुमार के मामले के सन्दर्भ में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति के समीक्षोपरान्त श्री तरूण लाल के मामले के निष्पादन हेतु स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी ।

D.Alok/CWJC 2026

(2079)
2114

5\. मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-493 दिनांक-06.04.2026 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार - "विभागीय निदेश के आलोक में लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत NIT सं0-01/16-17 के ग्रुप सं0-10 एवं NIT सं0-02/16-17 के ग्रुप सं0-01 की निविदा में संवेदक श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा समर्पित सदृश्य कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने के कारण उनसे स्पष्टीकरण किया गया था। तदालोक में संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण मे उल्लेख किया गया कि उक्त निविदा में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कटिहार के पत्रांक-159 दिनांक-15.03.2016 द्वारा निर्गत सदृश्य कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है, जो उनकी जानकारी में नहीं था। उक्त अनुभव प्रमाण-पत्र उनके कर्मचारी द्वारा प्रतिद्वंदी के साथ मिलकर फसाने के लिए डाल दिया गया था। इसकी सूचना शपथ-पत्र सहित कार्यपालक अभियंता एवं मुख्य अभियंता को तकनीकी बीड खोलने से पूर्व दी गयी थी तथा अनुरोध किया गया था कि फर्जी कागजात को हटाकर निविदा का निष्पादन किया जाय।

संवेदक श्री धर्मेन्द्र कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किये गये अभिलेख पर हस्ताक्षर का सत्यापन से सबंधित प्रतिवेदन की माग मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना से की गयी। उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक का आवेदन दिनांक-15.07.2016 पर किया गया हस्ताक्षर उन्हीं का है और सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी। मुख्य अभियंता के प्रतिवेदन के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा द्वारा स्पष्ट किया गया कि संवेदक द्वारा दिया गया आवेदन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि से पूर्व का है।

प्राप्त सभी प्रतिवेदनों के आधार पर विभागीय पैनल अधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री धर्मेन्द्र कुमार से शपथ पत्र प्राप्त किया गया और फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करने के सन्दर्भ में चेतावनी देते हुए कि भविष्य मे इसकी पुनरावृति करने पर FIR की कार्रवाई के साथ-साथ निबंधन को कालीसूची में डालने संबंधी हिदायत के साथ उन्हें मुक्त किया गया।"

6\. श्री लाल के अपील अभ्यावेदन पर दिनांक-18.05.2026 को हुई सुनवाई के क्रम में विभागीय आदेश सं0-3338 दिनांक-20.05.2026 द्वारा निविदा मे संलग्न किये गये बैंक प्रतिभूति (बी0जी0) की प्रति एवं बैंक प्रतिभूति (बी0जी0) के सत्यापन संबंधी बैंक के सत्यापन प्रतिवेदन/अभिलेख की मांग मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना से करते हुए सुनवाई की तिथि 29.05.2026 को निर्धारित की गयी।

7\. दिनांक-29.05.2026 को सुनवाई के क्रम में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-746 दिनांक-25.05.2026 द्वारा समर्पित बैंक प्रतिभूति (बी0जी0) की प्रति एवं बैंक प्रतिभूति (बी0जी0) के सत्यापन संबंधी बैंक के सत्यापन प्रतिवेदन/अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा उक्त कुल 07 निविदाओं में संलग्न सभी बैंक प्रतिभूति (बी0जी0) का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-62 दिनांक-11.01.2023 एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर, मोहनियाँ के पत्रांक-100 दिनांक-12.01.2023 द्वारा संबंधित बैंक से कराया गया।

(5)

D.Alok/CWJC 2026

उक्त के आलोक में संबंधित बैंक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मेसर्स संतलोचन डेवलेपर्स प्रा0 लि0 द्वारा निविदा में संलग्न बैंक प्रतिभूति (बी0जी0) उनके बैंक से निर्गत नहीं है तथा डाटाबेस में अंकित नहीं है ।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा फर्जी बैंक प्रतिभूति (बी0जी0) संलग्न कर निविदा प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जो अपराधिक कृत्य के साथ-साथ निविदा में निहित शर्तों का उल्लंघन है ।

अतएव संवेदक/अपीलकर्ता मेसर्स संतलोचन डेवलेपर्स प्रा0 लि0 (प्रो0- श्री तरूण लाल) के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना कार्यालय के आदेश सं0-68 सह-पठित ज्ञापांक-1283 दिनांक-11.12.2025 द्वारा श्री तरूण लाल को अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत करने संबंधी निर्गत आदेश को यथावत् रखने का निर्णय लिया जाता है ।

(बी0 कार्तिकेय धनजी)
(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः- 3565 /पटना, दिनांकः- 02/06/26

प्रतिलिपिः- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः- 3565 /पटना, दिनांकः- 02/06/26

प्रतिलिपिः- स्पीड पोस्ट- संवेदक मेसर्स संतलोचन डेवलेपर्स प्रा0 लि0 (प्रो0- श्री तरूण लाल), बिरला पब्लिक स्कूल के सामने, निजामुद्दीनपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, जहानाबाद, पिन कोड-804408/मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता (मु0), अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

D:Alok/CWJC 2026

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001:OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256
E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http:/www.bseidc.in * CIN: U80301BR2010SGC015839

कार्यालय–आदेश

संख्या– 99

पटना, दिनांक– 13/05/26

संवेदक **"M/S Hazarat Belal, Vill-Budhi jethwar, P.O-Jethwar, P.S-Tarari, Distt-Bhojpur, Bihar, Pin-802204"** द्वारा बेगुसराय जिला के अंतर्गत Construction of 100 Beded Girls Hostel at KGBV Gadhpura & KGBV Chhaurahi, Dist-Begusarai(GH-03) एकरारनामा सं०–304 SBD of 2021-22, दिनांक–05.01.2022 का भवन निर्माण कार्य को एकरारित समय के अंतर्गत पूर्ण नहीं किये जाने के कारण डिफाल्टर घोषित करते हुए इस कार्य के पूर्ण होने तक पत्रांक– BSEIDC/TECH/979/2016-1709, दिनांक–05-02-2025 द्वारा Debar किया गया था।

कार्यपालक अभियंता, बेगुसराय के पत्रांक–BSEIDC/MUN/EE-07A-04/26, दिनांक-07-04-2026 द्वारा Construction of 100 Beded Girls Hostel at KGBV Gadhpura & KGBV Chhaurahi, Dist-Begusarai(GH-03) एकरारनामा सं०–304 SBD of 2021-22, दिनांक–05.01.2022 का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि एवं अनुशंसा के आलोक में विचारोपरांत संवेदक **"M/S Hazarat Belal, Vill-Budhi jethwar, P.O-Jethwar, P.S-Tarari, Distt-Bhojpur, Bihar, Pin-802204"** को Debar से मुक्त किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:– BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- पटना, दिनांक–..........

प्रतिलिपि:–संवेदक **"M/S Hazarat Belal, Vill-Budhi jethwar, P.O-Jethwar, P.S-Tarari, Distt-Bhojpur, Bihar, Pin-802204"** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:– BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि:–अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/ कार्यपालक अभियंता, बेगुसराय /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु समबंधित, कम्प्यूटर प्रोग्रामर(मु०, को प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:– BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 3691 पटना, दिनांक– 13/05/26

प्रतिलिपि:–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

13/5/26

मुख्य अभियंता

57663l4/26 (27) (सचिव, P.H.E.D) आ0 2077

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

15 JUN 2026

संख्या.................

E-in-C (HQ)

प्र0पदा0-12

16 JUN 2026

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1611 (अनु0), दिनांक–18.05.2026 द्वारा पथ प्रमंडल, लखीसराय अन्तर्गत लखीसराय बाईपास पथ में आर0ओ0बी0 में Structural Distress उत्पन्न होने के कारण संबंधित संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Director's Name- Satyendra Kumar Singh, Address- Plot No.-162, 402, Bhola Apartment, Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna, Bihar-800001 (निबंधन सं0–1210022 श्रेणी–01) को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त आर0ओ0बी0 के निरीक्षण के उपरान्त IIT, Patna द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "**Lakhisarai ROB in Lakhisarai** (Coordinates): 25.1680278°N, 86.0836389°E). Closely spaced shear cracks were observed in most girders of the bridge, which could indicate distress. Corrosion was also observed in the POT/ PTFE bearing and the reinforcing steel, indicating that parts of the bridge have deteriorated, which could reduce its capacity and functionality." साथ ही IIT, Patna द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि Above bridge is a matter of concern, with direct implications for traffic safety. Based on visual inspection, the structural safety of the bridge appears to be compromised. Until detailed inspection data is processed and appropriate retrofitting or rebuilding measures are implemented, it is strongly recommended to immediately restrict heavy traffic on the above bridge.

ROB में उक्त संरचनात्मक क्षति के दृष्टिपथ विभागीय पत्रांक–3599(E)we, दिनांक 01.06.2026 द्वारा संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd. से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd. द्वारा अपने Ref.- BHCPL(RCD, LAKH/ SBD-2/588, दिनांक 08.06.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसके समीक्षोपरान्त पाया गया कि उक्त आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हुआ था। IIT, Patna द्वारा किये गये निरीक्षण में अधिकांश girder में Closely Spaced Shear cracks पाये गये हैं तथा POT/ PTFE bearing में Corrosion पाया गया है। Pear Cap Distressed पाया गया, जिसमें reinforcement Exposed पाया गया।

4313
17.6.26

संवेदक द्वारा निर्मित आर0ओ0बी0 में निर्माण के उपरान्त इतने कम समय में उक्त संरचनात्मक त्रुटियों का पैदा होना निर्माण कार्य की गुणवत्ता की कमी को प्रमाणित करता है।

संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd. द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उनके विरूद्ध कार्यवाही में विलम्ब करने के उद्देश्य से कुछ कागजातों की माँग की गयी है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं0–154 सहपठित ज्ञापांक–5403(S), दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 (1) (b) के प्रावधानों के तहत संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd.,

Director's Name- Satyendra Kumar Singh, Address- Plot No.-162, 402, Bhola Apartment, Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna, Bihar-800001 (निबंधन सं0–1210022 श्रेणी–01) (PAN No.-ALYPS0061Q) को 15 (पन्द्रह) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक– प्र०–7/कार्रवाई–05–17/2025– /पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Director's Name- Satyendra Kumar Singh, Address- Plot No.-162, 402, Bhola Apartment, Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna, Bihar-800001, E-mail ID-mdbhcpl@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक– प्र०– 7/कार्रवाई–05–17/2025– 3975(E)/पटना, दिनांक 13/6/26

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ आयुक्त एवं सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/ मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)